हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

25 मार्च, 2015

खण्ड-1, अंक-13

अधिकृत विवरण

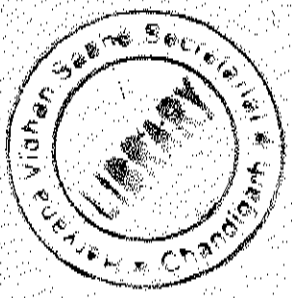

विषय सूची

बुधवार, 25 मार्च, 2015

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(13) 1
हरियाणा विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष का अभिनन्दन	(13) 5
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(13) 5
केन्द्रीय मंत्रियों का अभिनन्दन	(13) 10
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	(13) 10
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(13) 18
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(13) 24
विभिन्न मामले उठाना	(13) 26
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उन पर वक्तव्य	(13) 31
(i) ध्वनि प्रदूषण से मानवों तथा पक्षियों पर हानिकारक प्रभावों से सम्बन्धित	(13) 31
(ii) राज्य में गरीब किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देकर उनकी सहायता करने संबंधी	(13) 35

मूल्य :

नियम-15 के अधीन प्रस्ताव	(13) 46
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(13) 47
सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र	(13) 47
विधान सभा समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना-	(13) 47
(i) सबोर्डिनेट लैजिसलेशन कमेटी की 43वीं रिपोर्ट	(13) 47
(ii) पब्लिक अकांउटस कमेटी की 71वीं रिपोर्ट	(13) 47
(iii) गवर्नमैंट एश्योरैंस कमेटी की 44वीं रिपोर्ट	(13) 48
(iv) पब्लिक हैल्थ, इरिगेशन, पॉवर एंड पब्लिक वर्क्स (बी. एंड आर.) कमेट की दूसरी रिपोर्ट	(13) 48
विधान कार्य-	
1. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नम्बर 1) बिल, 2015	(13) 48
2. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नम्बर 2) बिल, 2015	(13) 51
3. दि इण्डियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2015	(13) 53
4. दि हरियाणा स्कूल टीचर्स सलैक्शन बोर्ड (रिपीलिंग) बिल, 2015	(13) 55
मुख्यमंत्री/अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद	

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 25 मार्च, 2015

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

Shortage of Teachers

***303. Shri Balwan Singh :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to meet out the shortage of teachers in the schools; if so, the time by which the aforesaid shortage of teachers is likely to be met out?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हां, श्रीमान जी, प्राध्यापकों के पदोन्नति कोटे के कुछ पद रिक्त है, जिन्हें भरने के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। 7036 प्राध्यापकों के पद (मेवात कॉडर सहित), मेवात काडर के 1145 मास्टर के पद तथा शेष हरियाणा के लिए 129 उर्दू मास्टर्ज के पदों पर शीघ्र भर्ती हेतु अनुरोध पत्र भेजा जा रहा है। सी0 एण्ड वी0 अध्यापक के पदनाम को बदलकर प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कर दिया गया है। सी0 एंड वी0 काडर कम होता काडर घोषित कर दिया गया है और इसकी भर्ती हेतु अनुरोध पत्र वैज्ञानिकीकरण प्रक्रिया के बाद ही भेजा जाएगा। 9455 जे0बी0टी0 अध्यापकों की चयन सूची हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड, पंचकुला से प्राप्त हो चुकी है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इनकी वैज्ञानिक जांच की जा रही है तथा माननीय उच्च न्यायालय के अनुमोदन उपरांत नियुक्तियां जारी कर दी जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में बड़ी संख्या में अध्यापकों के पद रिक्त हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नया स्टाफ सलेक्शन बोर्ड का गठन किया है, इसमें श्री भारत भूषण को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है और उनको ओथ भी दिलाई है। अध्यक्ष महोदय, आने वाले 4-6 महीने के अंदर-अंदर हरियाणा प्रदेश में विद्यालयों के प्रांगण में किसी भी कैटेगरी के जैसे पियन से लेकर प्रिंसीपल तक के पद भरे जायेंगे। इसमें सरकार की पूरी कोशिश रहेगी।

श्री बलवान सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हाउस में आश्वास्त किया है कि जल्दी ही अध्यापकों के पद भरे जायेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि फतेहाबाद जिला शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ चुका है और जहाँ तक शिक्षकों की कमी की बात है उस हिसाब से आंकड़ों की स्थिति देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ी चिन्ताजनक बात है किसी भी स्कूल में 50 प्रतिशत से अधिक अध्यापक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हाई स्कूल में अध्यापकों की संख्या 1455 है जिनमें से 502 पद भरे हुए है। मिडिल स्कूल में अध्यापकों की संख्या 633 है जिनमें 334 पद भरे हुए हैं। सीनियर सैकेंडरी

[श्री बलवान सिंह]

स्कूल में अध्यापकों की संख्या 2458 है जिनमें 1292 पद भरे हुए हैं। सी. एंड वी. में अध्यापकों की संख्या 940 है जिनमें 594 पद भरे हुए हैं। स्कूलों में मास्टरों की संख्या 1090 है जिनमें 485 पद भरे हुए हैं। यूनिवर्सिटी में लैक्चरार की संख्या 1373 है जिनमें से 662 पद भरे हुए है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का ध्यान में इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि जो स्कूलों में बिल्डिंगज़ बनी हुई है उनमें से काफी बिल्डिंगज़ की हालत जर्जर हो चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंगज़ की डिसमैंटलिंग करके उनको दोबारा से बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा जो ग्रांट फिक्स की गई थी वह ग्रांट सही समय पर नहीं मिल पाई और जब तक ग्रांट का पैसा आया तब तक उस बिल्डिंग के लिए जो ऐस्टीमेट बना वह उस ग्रांट से भी अधिक बन गया। इस वजह से वहां पर कमरों की छत भी नहीं लग पाई और सभी कमरों के फर्श आधे-अधूरे पड़े हुए हैं। इस काम को पूरा करने के लिए स्पेशल ग्रांट निर्धारित की जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पिछली सरकार ने प्रत्येक स्कूल में कम्प्यूटर लैब बनाई थी और उसके लिए जनरेटर भी उपलब्ध किये थे। अध्यक्ष महोदय, शुरू में जब नये जनरेटर उपलब्ध हुए थे तो उस वक्त 4000 लीटर डीजल प्रत्येक स्कूल के लिए उपलब्ध करवाया गया था। उसके बाद आज तक जनरेटर चलाये ही नहीं गए हैं। अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में शौचालयों की भी व्यवस्था की जाये क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की थी कि देश के हर घर और स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी। इसी के तहत प्रत्येक स्कूल में अच्छे शौचालय बनाये जायें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि प्रत्येक स्कूल में आर.ओ. की व्यवस्था की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे आर.ओ. एन.जी.ओ. की तरफ से लगाया जाये या सरकार की तरफ से लगाया जाये, वह सही और जरुर लगाया जाए क्योंकि स्वस्थ दिमाग ही स्वस्थ शरीर के अंदर निवास करता है।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है। यह केवल एक जिले की बात नहीं हैं। हरियाणा प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे मोरनी का क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों का क्षेत्र है, मेवात का क्षेत्र है और सिरसा का क्षेत्र है जहां पर ट्रैंड अध्यापकों की कमी है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई शिक्षा प्रणाली बनाई है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इन क्षेत्रों में अध्यापकों की भर्ती की जायेगी। जहां तक इन्होंने विद्यालय भवन की और स्वच्छता की बात की है, उस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की समस्याएं हमें विरासत में मिली है। माननीय सदस्य श्री बलवान जी ने ठीक कहा है कि पिछले समय में राजनैतिक कारणों से कुछ स्कूलों को तो अपग्रेड कर दिया गया था, लेकिन जहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा थी, वहां स्कूल अपग्रेड नहीं हुये। अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र में राजनैतिक प्रभावशाली लोग थे, वहाँ के स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया, जिसके कारण अब रैशनलाईजेशन पॉलिसी में बड़ी भारी दिक्कत आ रही है क्योंकि यह पाया गया है कि कहीं स्कूलों में अध्यापक नहीं है तो कहीं पर्याप्त मात्रा में स्कूलों में बच्चे नहीं है। इसलिए मैं इन सारी बातों को श्री बलवान जी के साथ शेयर करता हूँ कि आने वाले समय में हम इन सारी बातों पर ध्यान देंगे। स्कूलों में आर.ओ. सिस्टम को लेकर भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पहले ही काफी चिन्तित है। हरियाणा प्रदेश के 6745 गांवों में लोगों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो इसके लिये भी सरकार गम्भीरता से काम करने जा रही है।

Evasion of VAT

***541 Shri Gian Chand Gupta :** Will the Excise and Taxation Minister be pleased to state :—

(a) whether any SIT has been constituted by the Lokayukta in the Haryana State for the evasion of VAT or taxes by the colonizers and other people; and

(b) if so, the total amount of taxes evaded together with the action taken against the delinquent persons ?

आबकारी व कराधान मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :

(क) श्रीमान जी, लोकायुक्त हरियाणा ने अपने आदेश दिनांक 29 मई 2014 द्वारा शिकायत क्रमांक 867/2011 की जांच एक अधिकारी (न कि एस.आई.टी.) को सौंपी जो शिकायत श्री सतबीर सिंह द्वारा श्री अनिल राव, तत्कालीन उप-आबकारी व कराधान आयुक्त कैथल तथा एक सेवानिवृत कर निरीक्षक श्री मेवा सिंह के विरूद्ध थी जिन्होंने शिकायत में वर्णित कैथल के ट्रांसपोर्टरों से मिलीभगत करके विषयेतर प्रतिफल के बदले में राजकोष को भारी क्षति पहुंचाई। अधिकारी द्वारा उसे तीन आबकारी व कराधान अधिकारी उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध को लोकायुक्त ने 4.11.2014 को अपनी स्वीकृति दी।

(ख) लोकायुक्त से एक अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 18.3.2015 को प्राप्त हुई है तथा उसका अध्ययन किया जा रहा हैं। मामले में यथा समय समुचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि मेरी जानकारी के मुताबिक जो इंटैरिम रिपोर्ट आई है उसमें लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के टैक्स इवेजन की बात सामने आई है और इसमें इतने ही 10 हजार करोड़ रुपये की और evasion की आशंका है क्योंकि इंटैरिम रिपोर्ट में इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इसकी जो यह इक्वायरी रिपोर्ट आई है, इसके ऊपर सरकार आगे क्या कार्रवाई करने वाली है? दूसरी बात यह है कि जो जांच समिति (एस.आई.टी.) बैठी थी, इसका समय और आगे बढ़ाया जायेगा या नहीं?

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अपने पहले उत्तर में बताया कि कैथल में इस मामले को लेकर के श्री सतबीर सिंह नामक व्यक्ति ने डी.ई.टी.सी. और एक्साइज एण्ड टैक्सेशन इन्सपैक्टर के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करवाई थी। माननीय लोकायुक्त महोदय ने उसकी जांच करने के लिये पहले डी.ई.टी.सी. के अधिकारी को नियुक्त किया था, उसके बाद यह जांच ज्वाइंट एक्साइज एण्ड टैक्सेशन कमिश्नर को दी गई, फिर माननीय लोकायुक्त महोदय ने एक आई.पी.एस. अधिकारी को इसकी जांच को करने का काम सौंपा। उस जांच के माध्यम से जो लोकायुक्त को रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है, उस रिपोर्ट में 10,600 करोड़ रुपये का मामला अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, चुंकि यह जांच कैथल से संबंधित न हो करके पूरे हरियाणा के विभिन्न कामों को ले कर है, और यह मामला काफी गम्भीर है, रिपोर्ट में इस मामले

[कैप्टन अभिमन्यु]

में की गई जांच को विभाग ने अपने संज्ञान में भी लिया है। उस रिपोर्ट के कुछ मुख्य तथ्य माननीय सदस्य ने जानने चाहे हैं। कैथल के अलग-अलग प्रकार के केस जांच द्वारा उजागर किये हैं। कैथल जिले में जो एसैसमैंट की गई वह अंडर एसैसमैंट हुई है। कहीं पर एक्सैस रिफंड आ गया कहीं पर ट्रांसपोर्टर के साथ अर्न्तसम्बन्ध भी किया गया। जिसके कारण राजस्व को नुकसान हुआ है। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में सिगरेट के डीलर्स को बोगस रिफंड देने का मामला उजागर किया है। इसी तरह से सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला उजागर किया है। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में 3 सौ करोड़ रुपये के राजस्व की हानि का अनुमान है और कैथल में 18 करोड़ रुपये की राजस्व की हानि का अनुमान है। सोनीपत और करनाल में राइस एक्सपोर्टर्स को अंडर असेसमैंट किया गया है। ऐसा उस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। उस रिपार्ट में लगभग 3 सौ करोड़ रूपये के राजस्व का अनुमानित नुकसान बताया गया है। गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत में बिल्डर्स और डिवैल्पर्स से सरकार को राजस्व प्राप्त करना था लेकिन हम राजस्व प्राप्त नहीं कर पाए जिससे 10 हजार 600 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि होने का अनुमान रिपोर्ट में लगाया गया है। यह 340 पेज की रिपोर्ट 18 मार्च को प्राप्त हुई है और सरकार इस पर समीक्षा कर रही हैं कि इस पर किस प्रकार से कार्यवाही की जा सकती है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस पूरी रिपोर्ट में आंकलन और अनुमान शब्द का काफी ज्यादा प्रयोग किया गया है। इस रिपोर्ट में अगर और ज्यादा लाभ के लिए ज्यादा गहराई और सुख-सुविधा से चीजें आती तो विभाग और आगे बढ़ सकता था। आदरणीय सदस्य ने आपके माध्यम से पूछा है कि विभाग और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है। महोदय, यह 345 पेज की रिपोर्ट पूरे हरियाणा प्रदेश से संबंधित है। इसके लिए विभाग की एक स्पैशल असेसमैंट टीम बनाने की योजना है ताकि जो बिल्कुल अलग-अलग विषय है उनके लिए एक स्पैशल असेसमैंट टीम बनाई जा सके। हमारी योजना है कि हम अच्छे अधिकारियों की टीम बनाएं जो बिल्डर्स से वैट रिक्वरी के लिए गहराई से जांच करेगी ताकि इसकी पूरी रिकवरी हो और सरकार को राजस्व प्राप्त हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आंकड़े नहीं सच्चाई बता रहा हूं। सरकार इस प्रदेश के राजस्व में एक-एक पाई के लिए गम्भीर प्रयास करेगी। हमारी एक स्पैशल असेसमैंट टीम बनाने की योजना है जो राईस मिलर्स के लिए स्पैशल तौर पर काम करेगी। रिपोर्ट में उल्लेख है कि अदर वर्क्स कांट्रेक्टर से भी जितने राजस्व की प्राप्ति होनी चाहिए उतना राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है। ऑटोमोबाइल सैक्टर के लिए एक अलग टीम बनाने की योजना है। सिरसा और फतेहाबाद के सिगरेट के डीलर्स पर हमने पिछले दिनों काफी कार्यवाही की है लेकिन अब इसके लिए हमारी स्पैशल असेसमैंट टीम बनाने की योजना है। इसके अतिरिक्त लोकायुक्त की रिपोर्ट में जितने इंडीज्युअल मामलों का उल्लेख है उनके लिए हमारी सरकार की एक स्पैशल असेसमैंट टीम बनाने की योजना है।

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस इन्कवायरी को समयबद्ध किया जा रहा है और इस इन्कवायरी की रिपोर्ट कब तब आ जाएगी तथा क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा ?

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकायुक्त के द्वारा जो जांच की रिपोर्ट हमें मिली है उसका बिंदुवार अध्ययन करते हुए विभाग को दो काम करने हैं। इस रिपोर्ट में

उल्लिखित हर विषय की जांच करनी है और जांच के बाद उस पर कार्यवाही भी करनी है तथा कार्यवाही करके राजस्व की प्राप्ति भी करनी है। विभाग की अपनी कार्य-प्रणाली है और विभाग का इस पूरे मामले को पूरी शिद्दत और गम्भीरता के साथ अंतिम चरण तक ले जाने का लक्ष्य है। सरकार के खजाने में राजस्व की एक-एक पाई लाना विभाग की जिम्मेदारी है परंतु इस पर कार्यवाही करके राजस्व की प्राप्ति की समयसीमा निश्चित करना संभव नहीं है। लोकायुक्त की रिपोर्ट में 10 हजार 6 सौ करोड़ रूपये में से 10 हजार करोड़ रूपये एस्टीमेट के तौर पर प्रस्तुत किये गए हैं। विभाग के लिए 10 हजार करोड़ रूपये के एस्टिमेट को गहराई से जानना एक बहुत बड़ी चुनौती है। राजस्व प्राप्ति की समय-सीमा तय करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इसमें बिल्डर्ज के ऊपर यह पूरा वैट 10 हजार करोड़ रूपये का कम्पोनैंट हैं। इसके बारे में अनेक पेटीशंज कोर्ट में लगी हुई हैं उन सब का प्रभाव भी इस जाँच पर पड़ता है। परन्तु विभाग अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा।

हरियाणा विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पूर्व विधान सभा स्पीकर एवं मंत्री श्री अशोक अरोड़ा जी स्पीकर गैलरी में मौजूद हैं। मैं अपनी तरफ से और पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ज्ञानचन्द गुप्ता जी ने जो प्रश्न सदन में किया है। इस रिपोर्ट के बारे में मैंने अखबारों में ही पढ़ा है। यह लोकायुक्त की रिपोर्ट अखबारों में कई दिनों से चर्चित है। मैं अपना सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछने से पहले सदन को एक बात बताना चाहूंगा। सरकारी मशीनरी एक निश्चित पैरामीटर के दायरे में काम करती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी हैं उनको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए लेकिन इस रिपोर्ट से अफसरों में एक पैनिक क्रिएट हुआ है। मुझे नहीं पता कि इसमें वास्तविक दोषी कितने हैं और कितने नहीं हैं। लोकायुक्त की रिपोर्ट के बारे में मैंने अखबारों में ही पढ़ा है, अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी है। इस रिपोर्ट में काफी सारी चीजें कल्कूलेट करके डाली गई हैं। मुझे अखबार के माध्यम से यह तो पता लगा कि एक अखबार में लिखा हुआ था कि जो अधिकारी रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवा सके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इस बारे में लोकायुक्त ने सिफारिश की हैं। उस रिपोर्ट में साथ में यह भी लिखा था कि उन अधिकारियों ने असैसमैंट ईयर होने की वजह से अपने सैक्रेटरी को लिखा कि हम थोड़े दिन बाद रिकॉर्ड प्रस्तुत कर देंगे। सैक्रेटरी महोदय ने इस बारे में लोकायुक्त को इन्टीमेट भी कर दिया इसके बावजूद भी अखबार के इन्फ्रैंस से यह लगता था कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई प्रपोज्ड है। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या वे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए उस रिपोर्ट में प्रपोज्ड किया है कि जो अधिकारी अनुमति के बाद रिकार्ड को देने में असमर्थ रहे हैं। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि एक्साईज एण्ड टैक्सेशन सरकार का मुख्य आय कमाने वाला महकमा हैं अधिकारियों को डिसीप्लीन में रखना और ईमानदारी में रखना यह सरकार का कर्तव्य है। किसी तरह का पैनिक बटन न दबे इस बारे में सरकार गम्भीरता से विचार करे।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो विभाग में काम करने वाले ईमानदार उन अधिकारियों में एक पैनिक की चिन्ता माननीय सदस्य ने व्यक्त की है। मैं आपके माध्यम से विभाग के अधिकारियों को इस रूप में आश्वस्त करता हूं कि किसी ने गलती नहीं की होगी तो निश्चित तौर पर जो निर्दोष होगा तो उसे निर्दोष मान करके सरकार काम करेगी और जो दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जायेगा।

Repair of Road

***117. Smt. Naina Singh Chautala :** Will the PWD(B&R) Minister be pleased to state the steps being taken by the Government to repair the Dabwali to Kalanwali road, via Jogewala Paniwali Moriakan-Desujodha-Phulo-Chatha-Tigri-Norang Hassu, in district Sirsa togetherwith time frame to complete the repair of the said road.

लोक निर्माण मंत्री (भ0 एवं मार्ग) (श्री राव नरवीर सिंह) : श्री मान जी, कही गई सड़क खण्ड के विभिन्न हिस्सों जिनकी लम्बाई 5.95 किलोमीटर बनती है उनको सरफेस ड्रेसिंग कार्यक्रम 2015-16 के तहत मरम्मत करने का प्रस्ताव है। इस कार्य को सितम्बर, 2015 तक पूर्ण करने की संभावना है।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि मेरे हल्के डबवाली में लोक निर्माण विभाग ने किसी सड़क को बनाने का काम शुरू किया है या नहीं ?

राव नरवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 26 अक्टूबर, 2014 को बनी थी और पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) सड़क बनाने का काम तब शुरू करता है जब टैम्प्रेचर 15 डिग्री से ऊपर हो उससे कम टैम्प्रेचर में सड़कें नहीं बन सकती। अब टैम्प्रेचर बढ़ गया है अब सड़क बनाने के काम शुरू किये जायेंगे। बहन जी ने पहली बार अपने हल्के का प्रश्न इस सदन में किया है और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं माननीय सदस्या को जवाब दे रहा हूं। हमें स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के साथ काम करने का अवसर मिला और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और बहन जी चौधरी देवी लाल जी की पोत्र वधू हैं इसलिए मैं बहन जी को विश्वास दिलाता हूं कि इनके हल्के की जितनी भी सड़कें होंगी और पिछले दस सालों में कांग्रेस के राज में जितने गड्ढे बनाये गये हैं हम उन सभी सड़कों को बनाने का काम करेंगे।

To Open Girls College in Narwana

***156 Shri Pirthi Singh :** Will the Education Minister be pleased to state :-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Girls Government College in Narwana city; and

(b) If so, the time by which the abovesaid college is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री, (श्री राम विलास शर्मा) :

(क) व (ख) नहीं श्रीमान् जी।

इस समय गवर्नमैंट कॉलेज, नरवाना में 836 छात्रायें अध्ययन कर रही हैं तथा आर्ट्स, कॉमर्स, साईंस सभी फैकल्टीज़ इस गवर्नमैंट कॉलेज में उपलब्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, नरवाना में डी.ए.वी. महाविद्यालय पहले से ही कार्यरत है इसलिए इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नरवाना में नया महिला महाविद्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री पृथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि नरवाना के इस कॉलेज में वर्ष 2014-15 के सैशन में लगभग 1500 लड़कियाँ अध्ययनरत थीं तथा बीते वर्षों में लड़कियों की यह संख्या अलग थी। इस कॉलेज में बच्चों की कुल संख्या लगभग 3300 है। जितनी लड़कियाँ अभी नरवाना के गवर्नमैंट कॉलेज में अध्ययनरत हैं उनको वहां के सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलने के कारण उतनी ही संख्या में वे दूसरे कॉलेजों में चली जाती हैं जहां पर उनसे बहुत अधिक फीस ली जाती है। मुझे पता चला है कि प्राईवेट कॉलेज में बी.ए.फाईनल के लिए 80,000/- रूपये का पैकेज लिया जाता है जबकि सरकारी कॉलेज में यह फीस बहुत कम होती है। मैं यह स्मरण कराना चाहूंगा कि सरकार की एक पॉलिसी भी है कि जिस कॉलेज में लड़कियों की संख्या एक हजार से अधिक होगी, वहां पर नया महिला महाविद्यालय बनाया जायेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इस नये प्रस्तावित महिला महाविद्यालय पर अधिक खर्च भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से भी विशेष पैकेज आने का प्रावधान है। यदि सरकार का इस प्रोजैक्ट पर रवैया नरम हो तो वहां पर जमीन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आने दी जायेगी क्योंकि नरवाना कॉलेज के पास काफी जमीन उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, इन हालातों में गरीबों की लड़कियाँ कॉलेज में दाखिले से वंचित रह जाती हैं। सरकार ने एक अभियान चलाया है **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।** इसलिए मुझे सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस अभियान के अनुरूप कार्य अवश्य करेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि नरवाना का महिला महाविद्यालय कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री पिरथी सिंह जी ने स्वयं इस बात को माना है कि नरवाना के कॉलेज में पहले छात्राओं की संख्या ज्यादा थी लेकिन उसी शहर में एक डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय होने की वजह से छात्राओं की संख्या घटती चली गई जो 1400 से घटकर अब 836 रह गई है। इसके अतिरिक्त श्री पिरथी सिंह जी अभी सरकार के रवैये की बात भी कर रहे थे इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारा रवैया पूरा नरम नहीं है। मैं माननीय सदस्य श्री पिरथी सिंह जी की भावनाओं से सहमत हूं। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यदि श्री पिरथी सिंह जी वहां पर एक कन्या महाविद्यालय बनाये जाने की बहुत आवश्यकता महसूस करते हैं तथा उन्होंने कहा भी है कि वे जमीन और भवन की व्यवस्था भी करवायेंगे तो मैं आदरणीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार वहां पर कन्या महाविद्यालय बनाने पर विचार करेगी।

श्री पृथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि जमीन के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने दी जायेगी लेकिन मैंने भवन के प्रबंध के बारे में कोई बात नहीं की है। मेरी माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि नरवाना में कन्या महाविद्यालय बनाकर लड़कियों को शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाये।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जैसे मेरे साथी माननीय मंत्री महोदय श्री नरबीर सिंह जी ने बहन श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी के प्रश्न का जवाब देते हुए उनको आश्वस्त किया है, उसी प्रकार से मैं भी माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम इनकी बात पर पूरा गौर करेंगे। हम सब लोग जेल में, रेल में और सरकार में आदरणीय चौधरी देवी लाल जी के साथ रहे हैं। हमारी जिंदगी के ऊपर उनकी एक छाप है तथा जब उधर से कोई इस तरह की बात आती है तो हम गंभीरता और संवेदनशीलता से उस बात पर विचार करते हैं। (विघ्न) इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि वे निश्चिंत रहें, हमारी सरकार नरवाना में कन्या महाविद्यालय बनाने पर विचार करेगी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इतनी बार कह दिया कि चौधरी देवी लाल जी की हमारे ऊपर छाप है तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस पर विचार करेंगें बल्कि ऐसा कहें कि इतने समय में हम यह काम कर देंगें।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, किरण चौधरी जी हमारी पड़ोसन भी हैं और कांग्रेस विधायक दल की नेता भी है। उन्होंने कह दिया इसलिए हम इस काम को कर देंगें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न थोड़ा हटकर है लेकिन एजूकेशन से जुड़ा हुआ है। हमारे ऐलनाबाद क्षेत्र में पहले कोई कॉलेज नहीं था। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने बाय इलैक्शन के समय लोगों को आश्वस्त किया था कि अगर आप हमारे उम्मीदवार को जितवा देंगें तो आपके यहां कॉलेज बनवा दूंगा। वहां से वह उम्मीदवार जीत नहीं सका इसलिए हमारे इलाके की अनदेखी हो गई । उसके बावजूद हमारे यहां के एक समाजसेवी चौधरी मनीराम ने अपनी बेशकीमती जमीन जो बिल्कुल शहर के साथ लगती थी और करोड़ों रूपये उस जमीन के दाम थे इस कालेज के लिए दी। उस समाजसेवी ने अपनी जमीन में से 5-6 एकड़ जमीन कालेज के लिए दी। उसने इस कॉलेज के लिए केवल जमीन ही नहीं दी बल्कि उस पर इमारत बनवाकर लगभग 12-15 कमरे भी बनवा कर दिए। हमने उस वक्त सरकार से फिर कहा कि कॉलेज तो बना दिया गया इसलिए या तो आप इसको टेकओवर कर लो या फिर इसको कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी या रोहतक यूनिवर्सिटी से एफीलियेट करवा दो लेकिन एफीलियेट करने की बजाय इन्होंने उस वक्त कहा कि सरकार इसको अपने अंडर कर लेगी। सरकार ने इसको अपने अंडर ले लिया लेकिन लेने के बाद वहां पूरा स्टाफ नहीं है। वहां न तो लैक्चरर्ज हैं और न ही प्रिंसिपल है। सिरसा कालेज के प्रिंसिपल को ही उस कॉलेज का चार्ज दिया गया है और वह वहां जा नहीं सकता इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि उस कालेज के स्टाफ को पूरा किया जाए ताकि उस इलाके के बच्चे उस कॉलेज में जाकर पढ़ सकें।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला के प्रस्ताव पर सरकार कार्यवाही करेगी। मैं चौटाला साहब से कहना चाहता हूं कि इस सम्बंध में वे अपनी स्वीकृति लिखकर हमें भिजवा दें हम इस पर कार्यवाही करेंगें।

श्रीमती संतोष यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार महिला शिक्षा पर जोर दे रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मुख्य लक्ष्य मानकर चल रही है। मेरे क्षेत्र अटेली से 1800 लड़कियां अटेली कालेज में जाती हैं तथा 1800 लड़कियां कनीना कालेज में जाती हैं। मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय भी यह बात रखी थी। हमने 8 एकड़ जमीन पर कालेज

बनाने के लिए प्रस्ताव भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के पास भेज दिया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि बॉयज कालेज अटेली के एक विंग में इसी फाइनैंशियल इयर से महिला कालेज की शुरूआत की जाए।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, संतोष यादव जी हमारी माननीय बहन अटेली से विधायक हैं। उनका गांव मेरे विधानसभा में आता है। हम संतोष यादव को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसी सत्र से बॉयस कालेज के एक विंग में महिला कॉलेज चालू कर देंगें।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल इस प्रश्न से रिलेटिड तो नहीं है लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे हल्के ईसराना में कोअड राजकीय महाविद्यालय है और मतलोडा में गर्ल्ज राजकीय महाविधालय है। इन दोनों कालेजिज में आर्ट्स और कॉमर्स की क्लासिज लगती हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या इन दोनों कालेजिज में साईंस की क्लासिज शुरू की जायेंगी ?

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है विशेषकर महिला शिक्षा का सवाल है हमने आदरणीय बहन किरण चौधरी के आदेश की पालना की है। उन्होंने पिरथी सिंह का समर्थन किया है। अध्यक्ष महोदय, इस बार हम इस महान सदन में नई-नई परम्पराएं देख रहे हैं। चौधरी कृष्ण पंवार जी पुराने सदस्य हैं। विज्ञान एवं कॉमर्स की जो हमारी एक औपचारिकता है कि छात्र ऑपशन करते हैं कि इतने छात्र इस सबजैक्ट को पढ़ना चाहते हैं। माननीय कृष्ण पंवार जी दोनों कालेजिज की ऑपशन भिजवा दें कि इतने छात्र साईंस या कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं। हमारे पास आने वाले स्तर में प्राध्यापकों की कमी नहीं रहेगी। हम उन दोनों कालेजिज में इसी स्तर से साईंस की क्लासिज शुरू करवा देंगे।

डा. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ तो वही कहावत हो रही है कि "दिये तले अंधेरा"। मैं शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे हल्के नांगल चौधरी के अंदर गर्ल्ज कालेज और बॉयज कालेज नांगल चौधरी में है और कोअड कालेज कृष्णा नगर में है। इन तीनों कालेजिज में 1500 से 2000 बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यहां पर प्राध्यापकों की पोस्टें 50 प्रतिशत खाली हैं। मैं निवेदन करूंगा कि क्या एक महीने में इन तीनों कालेजिज में प्राध्यापकों की पोस्टें भरने बारे मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर अभय सिंह जी हमारे नांगल चौधरी से विधायक हैं जो कि राजस्थान बोर्डर के साथ लगता है। इधर नारायणगढ़ है जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। पिछली सरकार के समय में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को सजा देनी होती थी जो नारायणगढ़ वाले को नांगल चौधरी और नांगल चौधरी वाले को नारायणगढ़ भेज देते थे। इस समय नांगल चौधरी हल्के में तीन महाविद्यालय चल रहे हैं। हमने 1996 में कृष्णा नगर और स्वामी विवेकानंद जी के नाम से नांगल चौधरी में महाविद्यालय शुरू किए थे। इन तीनों महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के खाली स्थानों को जो भरने की बात की गई है इनको आने वाले सत्र में भर दिया जायेगा।

डा. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक महीने में इन पोस्टों को भरने के बारे में आश्वासन दें।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये पोस्टें भर देंगे।

श्रीमती लतिका शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारा कालका हल्का मेवात से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। कालका क्षेत्र के लिए टीचर्स का अलग से कैडर बनाने की जरूरत है। इस बारे में मैंने प्रश्न भी लगाया था जो कल लगा हुआ था लेकिन उस पर डिस्कशन नहीं हो पाई।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेवात पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है वह तो सरकार की नीतियों की वजह से पिछड़ा हुआ है। माननीय सदस्या यह कहें कि सरकार की नीतियों की वजह से पिछड़ा हुआ है।

श्रीमती लतिका शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कालका का क्षेत्र मेवात से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है क्योंकि यह हिमाचल की तलहटी में बसा हुआ है। बाहर से आने वाले लोगों को तो यह भी नहीं पता कि कालका हरियाणा का हिस्सा है। बाहर के लोग कालका को हिमाचल में ही समझते हैं। सरकार बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान चला रही है। कालका क्षेत्र में पांच साल की छोटी-छोटी बच्चियों को पढ़ने के लिए 2-2 कि.मी. पैदल चलकर जाना पड़ता है लेकिन स्कूल्ज में टीचर नहीं होते। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि कालका क्षेत्र का कैडर और नार्म्ज बदले जाएं ताकि वहां पर टीचर्स लग सकें।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, सारे माननीय सदस्य मेरी उदारता का फायदा उठा रहे हैं। एक स्पेसिफिक बात को लेकर अर्थात नरवाना में गवर्नमैंट गर्ल्ज कालेज खोलने के बारे में यह सवाल था लेकिन यहां पर इस विषय पर चर्चा नरवाना से शुरू होकर पूरे प्रदेश में घूम गई। मैं आदरणीय विधायिका श्रीमती लतिका जी और माननीय सदस्य श्री नसीम अहमद जी को बताना चाहता हूं कि इनकी बात सही है और इनके विचारों के साथ मेरी सहमति है कि पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण मेवात और शिवालिक का जो पहाड़ी एरिया है वह शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया है। जब हम वर्ष 1996 में शिक्षा मंत्री थे तो उस समय हमने फिरोजपुर नमक, जो कि हल्का नूंह में पड़ता है, वहां पर हमने जानबूझ कर जे.बीटी. का सैंटर खोला था। बच्चों की संख्या कम रही तो हमने इस संस्थान में दाखिला लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। इस प्रकार से शिवालिक क्षेत्र के लिए हमने एजुकेशन का अलग से प्रबंध किया था। इस समय भी सभी माननीय सदस्यों की शुभ कामना से हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में चाहे हमें इधर से लाना पड़े और चाहे उधर से लाना पड़े हम सभी की ज़रूरतों को पूरा करेंगे।

केन्द्रीय मंत्रियों का अभिनंदन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि आज स्पीकर गैलरी में राव इंद्रजीत सिंह जी और श्री बीरेन्द्र सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री मौजूद हैं मैं अपनी तरफ से और पूरे सदन की तरफ से यहां पर उनका स्वागत करता हूं। आज एक विशेष बात और है कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी का आज जन्म दिन भी है इसलिए उनके जन्म दिन पर पूरा सदन उनका हार्दिक अभिनन्दन करता है और बहुत-बहुत बधाई देता है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारंभण)

श्रीमती प्रेम लता : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि हमारा अलेवा ब्लॉक है जिसकी लगभग 15000 की आबादी है लेकिन

वहां पर लड़कियों के लिए कोई भी कालेज नहीं है। क्योंकि सवाल यह चल रहा है कि to open Girl College in Narwana. मैं इसी संदर्भ में माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि अलेवा में 30-30 किलोमीटर तक कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी वहां पर जल्दी से जल्दी महिला महाविद्यालय खोलने का कष्ट करें। इसके साथ ही साथ मैं एक प्रार्थना यह भी करना चाहती हूं कि अगर वहां पर कालेज के साथ-साथ हॉस्टल भी बना दिया जाये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा हो जायेगा तो लड़कियों को पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिल जायेगा क्योंकि गांव की लड़कियां अगर कालेज में पढ़ती भी हैं तो घर पर आकर या तो वे पशुओं की देखभाल करेंगी, घर के बच्चों को सम्भालेंगी या फिर रसोई का काम करेंगी। इसलिए अगर उनके लिए वहां पर हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध हो जायेगी तो पढ़ाई के लिए उनको ज्यादा समय मिलने के कारण उनकी अच्छी तरह से पढ़ाई हो सकेगी और इस प्रकार से उनके नौकरी लगने के चांसिज़ भी बढ़ जायेंगे।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, आदरणीय विधायिका बहन प्रेम लता जी ने ऐसे मौके पर यह सवाल पूछ लिया है कि हम उनको मना नहीं कर सकते इसलिए आज हम चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी के जन्म दिन के अवसर पर अलेवा में महिला महाविद्यालय खोलने की इस सदन में घोषणा करते हैं। It is a birth day gift for Ch. Birender Singh. (Interruption) इस प्रकार से मैं एक बार पुन: घोषणा करता हूं कि आज मैं इस सदन में अलेवा के अन्दर महिला महाविद्यालय खोलने का प्रावधान करता हूं।

श्रीमती प्रेमलता : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का उनकी अलेवा में महिला महाविद्यालय खोलने की इस सदन में घोषणा करने के लिए धन्यवाद करती हूं।

डॉ० पवन सैनी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे लाडवा विधान सभा क्षेत्र में लड़कियों का एक भी कालेज नहीं है इसलिए मैं उनसे मेरे लाडवा हल्के में लड़कियों का एक कालेज जल्दी से जल्दी खोलने की डिमाण्ड करता हूँ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से डॉ. पवन सैनी जी को बताना चाहता हूं कि इनका निर्वाचन क्षेत्र लाडवा है और लाडवा के पास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। इसलिए मैं समझता हूं कि विशेष तौर पर लाडवा में महिला महाविद्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं बनता।

Repair of Road from Ferozepur Jhirka to Biwan

***138. Shri Naseem Ahmed :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the road from Firozepur Jhirka to Biwan has been damaged completely; if so, the time by which the said road is likely to be repaired ?

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

1. हां, श्रीमान् जी।
2. इस खंड पर कार्य 30 जून, 2015 तक आरम्भ होने की आशा है और उस उपरांत यह 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। यह सड़क 2008-09 में बनकर तैयार हुई थी लेकिन 5 साल में ही इसमें बहुत बड़े-बड़े गड्ढे बन गये। यह रोड पूरी तरह से तो एक साल भी नहीं चला, यह पिछले 4 साल से खराब पड़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसकी क्वालिटी में भी कुछ बदलाव आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : अब सरकार बदल गई है तो क्वालिटी में भी बदलाव आयेगा।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि नगीना से राजस्थान के तिजारा की सड़क है जो कि माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी है। क्या उसको बनाने का भी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और अगर है तो यह सड़क कब तक बन जायेगी ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पहला सवाल था कि यह सड़क 5-6 साल में ही टूट गई। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि यह सड़क शुरू में ठीक बनी थी लेकिन इस सड़क पर लगभग 250 स्टोन क्रैशर हैं और वहाँ पर लगभग 3000 से 3500 गाड़ियाँ चलती हैं और वे सभी ओवरलोडिड चलती हैं जिसके कारण यह सड़क जल्दी टूट गई। मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि यह सड़क जल्दी ही बन जायेगी। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि नगीना से राजस्थान के तिजारा तक सड़क कब तक बन जायेगी। मैं जब मेवात में गया था तब इस सड़क की घोषणा करके आया था। जब श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री मेवात गये थे तो ये भी 10 सालों में दो बार इस सड़क की घोषणा करके आये थे कि हम राजस्थान से इसको जोड़ेंगे। यह सड़क हरियाणा में 4 किलोमीटर तक बनी हुई है तथा 3 किलोमीटर राजस्थान बॉर्डर तक बननी है। बीच में डेढ़-दो किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान का पड़ता है जो जुड़ा हुआ नहीं है। जिस दिन राजस्थान सरकार इसको जोड़ देगी तो हम इस सड़क को बना देंगे।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार राजस्थान सरकार से बातचीत करके इस सड़क को जोड़ कर बनवाने का प्रस्ताव भेजे। पूरे मेवात क्षेत्र (पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और नूंह) के लोगों की रिश्तेदारियाँ और आना-जाना राजस्थान के तिजारा और अलवर में है और हमें आने-जाने के लिए 60 किलोमीटर का चक्कर लगा कर आना पड़ता है। अगर यह सड़क बन जाये तो यह रास्ता केवल 10 किलोमीटर का ही रह जायेगा। इससे हमारा लगभग 50 किलोमीटर का चक्कर बच जायेगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा सरकार राजस्थान सरकार से बात करके यथाशीघ्र इस सड़क का निर्माण करवाये।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं, इससे एक लम्बा चक्कर बच जाता है और यह मुख्य सड़क है। हम राजस्थान सरकार के साथ बात करके इस योजना में इस सड़क को बनवाने का प्रयास करेंगे।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है। गुड़गांव-अलवर रोड़ नूंह तक चारमार्गी है तथा नूंह से आगे 45 किलोमीटर तक सिंगल रोड है। इस रोड पर डम्पर बहुत ज्यादा चलते हैं और उनकी वजह से एक्सीडैंट्स भी बहुत होते हैं। यह सड़क टूट चुकी है, क्या उसको भी चारमार्गी बनाने पर सरकार विचार करेगी ? इसी प्रकार गुड़गांव से फिरोजपुर झिरका तक 84 किलोमीटर लम्बा रोड है और उस पर 90 स्पीड ब्रेकर बने हुये हैं। जो स्पीड ब्रेकर

नॉर्म्स को पूरा नहीं करते क्या सरकार उनको हटाने का प्रयास करेगी और जो नार्म्स पूरे करते हैं उनको ठीक ढंग से बनाने का प्रयास करेगी ? अध्यक्ष महोदय, अगर 90 स्पीड ब्रेकर आयेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी ?

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गुड़गांव से अलवर की सड़क बहुत पुरानी सड़क है। वर्ष 2008 में केन्द्र के पूर्व मंत्री, श्री जयपाल रेड्डी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र हुड्डा जी नूंह में इस सड़क का पत्थर रख कर आये थे। यह सड़क गुड़गांव से अलवर तक चारमार्गी बननी मंजूर हुई थी लेकिन अभी तक वहाँ पर पत्थर ही लगा हुआ है काम कोई नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह सड़क कब तक चारमार्गी बन जायेगी ?

श्री तेजपाल सिंह तंवर : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि फिरोजपुर झिरका से बीवान की सड़क पर डम्पर बहुत चलते हैं मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि वहां पर डम्पर नहीं चलेंगे तो और क्या चलेगा ? अगर रोड को पूरी गुणवत्ता के साथ नहीं बनाया जाएगा तो वह तो टूटेंगे ही। अगर रोड पूरी गुणवत्ता के साथ बनाए जाएं तो वह बिल्कुल भी ना टूटें। पिछली सरकार ने केवल काले तेल में रोड़ी मिला-मिला कर रोड पर डाल दी जो बारिश होते ही बह गई और रोड दोबारा से टूट गये। सर, मेरा यह कहना है कि सड़क को पूरी गुणवत्ता के साथ बनाया जाए और उसमें इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाए। जैसे पिछले 10 वर्षों में इतनी बंदरबांट की है उस पर भी पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। इसमें जिन अधिकारियों ने धांधली बरती है उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे है मेरा उनसे अनुरोध है कि पिछले 10 सालों में जिन्होंने इतनी लूटखसोट की है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सर, उन्होंने 10 साल में खाया ही खाया है लगाया कुछ नहीं।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो गुड़गांव-अलवर रोड है वह नैशनल हाई-वे अथोरिटी के अण्डर जा चुका है। हम नैशनल हाई-वे अथोरिटी व गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया से बात करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि यह रोड फोर लेन बन जाए। जहां तक गुड़गाव-नूंह रोड का संबंध है उस पर ट्रैफिक ज्यादा है और नूंह से अलवर तक ट्रैफिक कम है। इसलिए वहां जाँच करेंगे कि इस पर कितनी गाड़ियाँ चलती हैं। अगर वह उस नोर्म्स में आया तो इसको भी फोर लेन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसकी सरकार की तरफ से जल्दी से जल्दी मंजूरी ले लेंगे। जहां तक रोड पर बने ब्रेकरों की बात है वह ठीक है कि मेवात में जाना है तो बिना एस.यू.वी. गाड़ी के जाना तो नामुमकिन है। गुड़गांव से फिरोजपुर जाने में ही कई घण्टे लग जाते हैं। उस रोड़ पर 90 स्पीड ब्रेकर नहीं होंगे तो 80 तो जरूर हैं। सर, वहां मजबूरी यह है कि वहां पर ज्यादातर डम्पर चलते हैं और वह सारे 1200 से 1800 फुट माल भरकर चलते हैं। अगर गांव में स्पीड ब्रेकर न हो तो कोई हादसा होने का डर रहता है जिससे वहां के लोग हादसा होने पर आगजनी कर देते हैं। ट्रक को आग लगा देते हैं, लाठियों से ड्राईवर को मार देते हैं। हर गांव में यह प्रयास होगा कि वहां स्पीड ब्रेकर जरूर बनाए जाएं। हरियाणा में खास कर जिस गांव में जब भी कोई रोड़ बनाने जाएं तो गांव वाले सबसे पहले कहते हैं कि स्पीड ब्रेकर बनाओ। सर, हरियाणा व मेवात में नोर्म्स के अनुसार एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं हैं। 90% स्पीड ब्रेकर बिना नोर्म्स के बनते हैं। यदि माननीय सदस्य गांव वालों को समझा लें तो मैं तो उन स्पीड ब्रेकर्ज को हटवाने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : नरबीर जी, वहां जो स्पीड ब्रेकर बनाए गये हैं क्या वह नोर्म्स के हिसाब से बनाए गये हैं ?

श्री तेजपाल सिंह तावर : सर, मेवात में कोई भी स्पीड ब्रेकर नोर्म्स के अनुसार नहीं बनाए गये। सारे ही बिना नोर्म्स के बने हुए हैं।

श्री जाकिर हुसैन : सर, जो कहा गया है कि नूंह तक ट्रैफिक जाता है और नूंह में कोई इण्डस्ट्रीज नहीं है और न कोई इण्डस्ट्रियल एरिया है। यह बात मंत्री जी की सत्य नहीं है कि जो भी ट्रैफिक गुड़गांव से नूंह को जाता है वह रोड अलवर तक थोरोफेयर रोड है। इनको महकमें ने गुमराह किया है कि नूंह तक रोड है उसके लिए आप आदेश कर दें या मंत्री जी उसका रोड का दोबारा सर्वे करा लें। मैं माननीय सदन के नेता से भी अनुरोध करूंगा कि वह इस रोड का दोबारा से सर्वे करा लें। सर, जो पैसा हमारे रोड़ पर खर्च होना था वह पैसा कहीं और खर्च हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस रोड से जितना ट्रैफिक जाता है वह अलवर तक जाता है जिसको फोर लेन बनाने की सख्त जरूरत है। सर, इस पर थोरोफेयर ट्रैफिक चलता है केवल नूंह तक का ट्रैफिक नहीं है।

श्री नरबीर सिंह : सर, हम इसके बारे में नैशनल हाई-वे अथोरिटी को पत्र लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि यह फोर लेन हो जाए।

Industrial Policy

*557. **Shri Vipul Goel :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether it is a fact that Faridabad has lost its status of Industrial city during the last decade; if so, whether special attention has been given to Faridabad in the New Industrial Policy of the Government togetherwith the steps taken by the Government in this regard ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : यद्यपि यह सत्य है कि गुड़गांव में नई औद्योगिक इकाईयों का पंजीकरण और पूंजी निवेश पिछले दशक (2005-06 से 2014-2015) में पहले वाले दशक की तुलना से (1995-96 से 2004-2005) बाकि हरियाणा, फरीदाबाद सहित से महत्वपूर्ण अधिक रहा है। हालॉकि फरीदाबाद में भी औद्योगिक इकाईयों में तथा निवेश में बढ़ोतरी हुई है। प्रत्यक्ष रूप से फरीदाबाद में औद्योगिक इकाईयों व पूंजी निवेश में बढ़ोतरी हुई है। उद्योग विभाग, हरियाणा के रिकार्ड पर आधारित आकड़ों के अनुसार औद्योगिक इकाईयों के उत्पाद व पूंजी निवेश फरीदाबाद में पिछले दशक (2005-2006 से 2014-15) में चालू मूल्य (2511 करोड़ रुपये) का निवेश हुआ है। जबकि इसकी तुलना में पिछले दशक में (1995-96 से 2004-05 में यह 753 करोड़ रुपये था)।

राज्य सरकार नई उद्योग नीति बहुत सारे हितधारकों के साथ-साथ फरीदाबाद उद्योग के कई प्रतिनिधियों के परामर्श से बनायी जा रही है। इस नीति में राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ फरीदाबाद के विकास पर भी जोर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर एक स्टेटमैंट रखी गई है। माननीय सदस्य श्री विपुल गोयल जी का सवाल है कि फरीदाबाद का इण्डस्ट्रीज का जो स्टेटस था उसमें पिछले दशक में जो कमी आई है। उसको ध्यान में रखते हुए आने वाली औद्योगिक नीति में सरकार

फरीदाबाद के लिए कुछ विशेष प्रयास करेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की चिन्ता को स्वीकार करता हूं। यह बात सही है कि फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अग्रणी क्षेत्र हुआ करता था। पिछले दिनों कहीं न कहीं सरकारी तौर से उसको नैगलेट किया गया था जिसके कारण फरीदाबाद आज औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा है। यही स्थिति पूरे हरियाणा प्रदेश में दिखाई दे रही है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पूरे हरियाणा में पिछले एक दशक में वर्ष 1995-96 से वर्ष 2004-05 के बीच गुड़गांव व फरीदाबाद को छोड़ दें तथा बाकि हरियाणा की लगभग 4 हजार औद्योगिक इकाइ बन्द हुई हैं अर्थात् पहले से कम हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में पूरे हरियाणा की स्थिति बताई जाए तो और भी ज्यादा खराब है। जहां तक फरीदाबाद की स्थिति है वह हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों से तो फिर भी बेहतर है लेकिन गुड़गांव की तुलना में निश्चित तौर पर फरीदाबाद में जितनी तरक्की होनी चाहिए थी वह उतनी नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हमारी नई औद्योगिक नीति आने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर यह विश्वास भी दिया है कि आने वाले समय में हरियाणा सरकार हरियाणा में एक बैलेंस डवल्पमैंट पूरे हरियाणा प्रदेश में सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल कर हर क्षेत्र का समान विकास करवाया जायेगा। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार नई उद्योग नीति जल्दी ही लागू करेगी और पुराने फरीदाबाद का खोया हुआ स्थान भी औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश को फरीदाबाद से राजस्व भी मिलेगा, जिससे हरियाणा के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मुहैया हो सकेगा अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार औद्योगिक नीति के माध्यम से इस बात की चिन्ता कर रही है।

श्री विपुल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि एक समय था जब एशिया और विश्व के मानचित्र पर फरीदाबाद इन्डस्ट्रियल सिटी के नाम से विख्यात था। वह पिछले 10 सालों से अपना स्वरूप खो चुका है और वहां पर कोई बड़ा उद्योग भी विकसित नहीं हुआ है, बल्कि वहां से बहुत सारे उद्योग पलायन कर गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूर्व की सरकारों ने बहुत सारे उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए देश विदेश की यात्राएं की, उन यात्राओं पर क्या खर्चा आया और वे यात्राएं कितनी कारगर रही ? उसके बाद हरियाणा प्रदेश में अब तक कितने उद्योग लगे हैं ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, यह एक अलग प्रश्न है। मेरे पास इस समय आंकड़ों की सही जानकारी उपलब्ध नहीं है फिलहाल यात्राओं का पूरा विवरण सदन के पटल पर तुरन्त प्रस्तुत करना संभव नहीं है। अगर माननीय सदस्य इसकी जानकारी चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से उपलब्ध करवा देंगे।

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछने से पहले एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में गिड़ौर जो हैंड टूल के लिए वर्ल्ड फेम में थी, ईस्ट इंडिया कॉटन मिल, नेपको बैब्ल गियर्स स्टार स्टील लिमिटेड, नादर्न स्टील आयशर टैक्ट्रर्स जो कि एम.पी. में शिफ्ट हो गई और बाटा जैसी कम्पनियां यहां से पूरी तरह से पलायन कर गई। इसके बाद मेरा पहला प्रश्न यह है कि इन जगहों पर जब एक

[श्रीमती सीमा त्रिखा]

इन्डस्ट्री पलायन कर गई तो उस इण्डस्ट्री की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करके बिल्डर माफिया और लैंड माफिया के हाथों में वह जमीन क्यों दे दी गई ? उसका पूरा विवरण सदन के पटल पर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है कि जिस जमीन से इन्डस्ट्री पलायन करके गई है उस जमीन को कॉमर्शियल प्रयोग में ही लाया जायेगा। जिस जगह पहले इन्डस्ट्री लगी हुई थी, उस जमीन पर दूसरी इन्डस्ट्री ही लगनी चाहिए। क्या इस प्रकार की सरकार के पास कोई नीति है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि आदरणीय सर्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में मेक इन इण्डिया और मल्टीपल स्कील्स सैंटर का विस्तार किया है। उन्होंने मेक इन इण्डिया को बढ़ावा देने के लिए भारत के कई हिस्सों में कार्यक्रम शुरू किये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहती हूँ कि इस नीति के तहत फरीदाबाद में कितने सैंटर दिये जा रहे हैं, जिससे वहां के लोगों को इसकी सुविधा मिले और रोजगार की सहूलियतें ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने 3 सवाल पूछे हैं। माननीय सदस्या का एक सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने फरीदाबाद में मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए क्या कोई विशेष प्रयास किए हैं ? मैंने अभी इसका उल्लेख किया है कि सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आ रही है और उस औद्योगिक नीति के माध्यम से हरियाणा सरकार संकल्प लेकर मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए पूरे प्रयत्न कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने इस साल के बजट में मेक इन इंडिया को विशेष रूप से सफल बनाने के लिए प्रावधान किये हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने टैक्नीकल और स्किल डिवैल्पमैंट के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में पहले भी बताया था कि फरीदाबाद के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसी की तर्ज पर ही वहां पर विकास करवाया जायेगा और सरकार का मानना है कि फरीदाबाद का खोया हुआ सम्मान भी मिल जायेगा। सरकार भी औद्योगिक नीति के माध्यम से चिन्ता कर रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने दो सवाल एक ही विषय को लेकर पूछे हैं कि जो पुरानी इन्डस्ट्रीज फरीदाबाद में चल रही थी, जिनका औद्योगिक क्षेत्र में पूरे हरियाणा प्रदेश में नाम था और हरियाणा प्रदेश को उनसे राजस्व भी मिल रहा था और बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार भी मिल रहा था, आज ये औद्योगिक क्षेत्र दूसरे स्थान पर पलायन कर गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार की नीतियों की वजह से ही हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं। उन्होंने उद्योग के महत्व को नहीं समझा। अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन पर उद्योग लगे हुए थे, उसी जमीन पर कांग्रेस सरकार की एक अलग ही दृष्टि थी। अध्यक्ष महोदय, इसमें उद्योगपतियों की भी रुचि अपने उद्यम को चलाने की बजाय उस जमीन में नये उद्योग वगैरह बनाने की रही होगी और कांग्रेस सरकार का भी उसमें कहीं न कहीं इन उद्योगपतियों का समर्थन भी रहा होगा। आज हमारी सरकार इस बात की चिन्ता कर रही है। जिस जमीन को उद्योग लगाने के लिये लिया गया था, उसी जमीन पर उद्योग लगाने की चिन्ता करने का प्रयास निश्चित रूप से हमारी सरकार कर रही है ताकि उसमें रोजगार और राजस्व की कोई हानि न होने पाये।

श्री विपुल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो इन्डस्ट्रियल प्लॉट प्रैस्टिजियस इन्वेस्टमैंट कैटेगरी के तहत अलॉट किये गये वे आऊट ऑफ टर्न अलॉट किये थे। उन प्लॉटों में कितने प्रतिशत उद्योग विकसित किये गये हैं? जिन व्यक्तियों को प्लॉट अलॉट किए गए थे ? क्या वे सही में उद्योगपति थे या केवल ट्रेडिंग करने या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए ये प्लॉट अलॉट किये गये थे ? क्योंकि पिछले 3 सालों से 400, 450 और 500 वर्गमीटर के इण्डस्ट्रियल प्लॉटों की इन्टरव्यू वगैरह सारी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है लेकिन किसी व्यक्ति को अब तक कोई प्लॉट अलॉट नहीं किया गया। क्या सरकार उन छोटे उद्योगों को पनपने नहीं देना चाहती? सरकार की इसके बारे में क्या नीति है? कृपया इसके बारे में भी बताया जाये। दूसरी बात जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया है कि बड़े प्लॉटों के अंदर ही इन्डस्ट्रीज लगाने का प्रावधान किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूँ कि बड़े-बड़े प्लॉट आज शायद इन्डस्ट्रीज के लिए यूज नहीं हो रहे हैं। सब डिविजन की पॉलिसी के तहत क्या सरकार इन छोटी-छोटी इकाईयों को रेगुलराईज करेगी या सब डिविजन की नीति बनाने पर विचार किया जायेगा।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक सवाल के दो पार्ट करके पूछे हैं। एक तो उन्होंने बड़े इन्डस्ट्रियल प्लॉट्स के बारे में अपना प्रश्न पूछा है। जहाँ तक मेरी समझ में आया है कि प्रैस्टिजियस प्रोजैक्ट के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। 30 करोड़ से अधिक फिक्सड एसैट की जो इन्वेस्टमैंट है। उसको प्रैस्टिजियस प्रोजैक्ट की कैटेगरी में डाला गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 2-3 सालों में 1095 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमैंट के साथ एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने 28 इन्डस्ट्रियल प्लॉट्स अलॉट किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी उम्मीद है कि फरीदाबाद में उद्योग लगाने से जल्दी उसका लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न उन छोटे-छोटे प्लॉटस के बारे में किया है जिनका आवंटन पिछले सालों में इन्टरव्यू होने के बाद भी रुका हुआ है। पंचकूला में हुडा के इन्डस्ट्रियल सैक्टर के बारे में पिछले दिनों सदन में एक प्रश्न आया था कि 14 प्लॉट्स किस प्रकार से कुछ चुनिंदा चहेते लोगों को आवंटन करने की कार्यवाही हुई थी। उसी प्रकार का पूरे प्रदेश में वातावरण बन रहा और फरीदाबाद में भी जो हमारे इन्डस्ट्रियल सैक्टर्स हैं उनकी अलॉटमैंट की हमने जो प्रक्रिया देखी है और उनके इन्टरव्यू जिस प्रकार से हुये हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि ये भी प्रक्रिया उसी दिशा में जा रही थी जिस प्रकार से पंचकूला में प्लॉट अलॉट किए गए थे। हमारी सरकार ने बड़ी सोच समझकर यह निर्णय लिया है कि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी किया जाये। ताकि जिस उद्योगपति की उद्योग लगाने की क्षमता है, जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ उद्योग लगाना चाहता है उसको प्लॉट सुलभ किया जा सके, इसीलिए सरकार एक नई पारदर्शी प्रक्रिया के साथ इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन प्रोसैस के माध्यम से चहेते आदमी भी कोई प्लॉट ईमानदारी से लेना चाहते हैं तो उनको भी सरकार प्लॉट्स देने का काम करेगी, निश्चित तौर पर बहुत जल्दी ही इन तमाम छोटे प्लॉटों का भी आवंटन किया जायेगा ताकि हरियाणा प्रदेश में औद्योगिक विकास की तेजी लाई जा सके ऐसी सरकार की मन्शा है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मंत्री जी थर्ड टाईम वही बात दोहरा रहे हैं, आप प्रोसिडिंग्स निकालकर देख लीजिए। The same thing and the same reply comes again and again. There is no use of repetition of the same thing again and again to waste the time of the House. Hon'ble Speaker Sir, this is my submission.

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन मेरे पूरे जवाब में एक पंचकूला के हुड्डा इन्डस्ट्रियल प्लॉट का जो उससे सम्बन्ध है उसका वर्णन करते हुए एक लाइन के अतिरिक्त अगर दूसरी कोई भी लाइन रिपिट मानी जाये तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने सवालों में अपने बारे में कितनी बार कितनी चीजें लेकर आते हैं वे उसकी चिन्ता करें। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा होगा।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की बातें माननीय सदस्यों को अच्छी नहीं लगती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, बैठ जाईये। जयवीर जी का पहला ही प्रश्न है क्योंकि इनको पहले बोलने के लिए मौका नहीं मिला है, प्लीज, इन्हें अपना प्रश्न पूछने दें।

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सोनीपत में यूपीए गवर्नमैंट के समय में रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर हुई थी उसका क्या स्टेट्स है। कृपया मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जयवीर जी, जो आप पूछ रहें हैं वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यागण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Set up 66 KV Sub-station

***431 Sh. Zakir Hussain :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a 66 KV Sub-station in village Beebipur of Tehsil Nuh ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान।

To Develop a Park

***172. Shri Anoop Dhanak :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a park in Uklana Mandi; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान जी। कुछ व्यक्तियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निपटान के उपरांत 80.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पार्क का निर्माण 30 सितम्बर, 2015 तक पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे।

Drinking Water Supply

***221. Shri Tek Chand Sharma :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government for providing drinking water supply under the Rannywell Scheme for

the Villages such as Prithla, Dudhola, Payala,Kabulpur,Bhanakpur, Sikrona, Karnera, Amru, Sikanderpur, Baghola, Mohala etc. of Prithla Constituency ; and

(b) if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized ?

पी0डब्ल्यू0डी0(बी0 एंड आर0) मंत्री (राव नरबीर सिंह) : (क) तथा (ख) नहीं, श्री मान जी,

To Construct a Pucca Hump

***241. Shri Udal Bhan :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Pucca Hump on 0.25 K.M. on the Ujhina Diversion Drain in village Bhiduki of Hodel Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां, श्रीमान जी। यह कार्य वर्ष 2015-16 के कार्य योजना में ले लिया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान निर्माण करवा दिया जाएगा।

To Dig-up a New Canal

***150. Shri Rahish Khan :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new canal in district Mawat for Irrigating; if so, the time by which it is likely to be constrcuted ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां, श्रीमान जी। जिला मेवात में गड़गाव कैनाल की मौजदा कमाण्ड में सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के लिए मेवात फीडर कैनाल के नाम से एक नई नहर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा इस परियोजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट को नवम्बर 2014 में मंजूर कर दिया गया था और इसकी संशोधित विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है जोकि तत्पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग को मूल्यांकन के लिए प्रेषित की जाएगी। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस परियोजना की मंजूरी के बाद इस नई नहर का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान में इस नहर के निर्माण के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

Construction Work of O.P. Jindal Minor

***274. Shri Ranbir Gangwa :** Will the Irrigation Minister be pleased to state the time limit fixed for completion of construction work of O.P. Jindalminor togetherwith the reasons for delay in construction ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, ओ0पी0 जिन्दल नलवा रजवाह को 29.12.2014 को चालू कर दिया गया था। पम्प हाउस के विद्युतीकरण के लिए स्वतंत्र फीडर न होने के कारण देरी हुई।

Supply of Electricity

***411 Shri Ravinder Singh Baliala :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to supply the 24 hours electricity to those villages on whose Panchayat land the Power House have been set up; if not, the reasons thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, जिन गांवों ने बिजली उपकेन्द्र की स्थापना के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई है, उनको शहरी प्रणाली पर बिजली सप्लाई करने की एक पॉलिसी पहले से ही प्रचलन में है।

Compensation for Loss of the Crops

***449. Shri Ved Narang :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide compensation on account of loss caused to crops by the disease of White Fly (Safed Makhi) in the villages of Barwala Constituency; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : जी हां, श्रीमान, उपायुक्त, हिसार को सफेद मक्खी की वजह से फसलों को हुए नुकसान के कारण 27,42,24,500/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस राशि में बरवाला निर्वाचन क्षेत्र के गांव के किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा भी शामिल है।

Problem of Water Logging

***285. Shri Makhan Lal Singla :** Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is acute problem of water logging in the Nehrana village of Sirsa Constituency; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to drain out the water with tubewell; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : (क) और (ख)

हां, श्रीमान् जी। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान समस्या का समुचित समाधान ढूंढने के प्रयास किये जायेंगे।

To Fill up the Posts of Veterinary Doctor

***379. Shri Om Prakash :** Will the Animal Husbandry and Dyairying Minister be pleased to state the time by which the vacant post of doctors in Government Veterinary Hospital in village Rupani of Loharu Constituency are likely to be filled up togetherwith the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी, लोहारू विधानसभा क्षेत्र में रूपानी नाम का कोई गांव नहीं है।

Construction of Culvert on Loharu Canal

***252 Shri Rajdeep Phogat :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a culvert over the Loharu canal on the passage of village Khatiwas and Ravladhi; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी।

Reconstruction of Road

***317. Shri Nagender Bhadana :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the road from Pakhal toll tax to Pawanta village in NIT Faridabad; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण (भवन तथा मार्ग) मंत्री (राव नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

Four Laning of Roads

***443. Shri Om Prakash Yadav :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that land has been acquired, forest and environmental clearance has been obtained for the construction of four laning road from Rai Mailkpur to Kherak via Narnaul, Mahenderagarh, Dadri and Bhiwani; If so, the time by which work is likely to be started on the abovesaid road alongwith details thereof ?

लोक निर्माण (भवन तथा मार्ग) मंत्री (राव नरबीर सिंह) : हां, श्रीमान जी। इस समय कार्य शुरू करने की समयावधि नहीं बताई जा सकती।

Carbon Emission

***347 Smt. Prem Lata :** Will the environment Minister be pleased to state—

(a) whether the high per capita carbon emission is the cause of concern specially in the Industrial Towns of the State ;

(b) the details of carbon emission reported during the last three years and the reasons for rise in emission rate; and

(c) whether any target has been fixed to bring down the per capita carbon emission; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) श्रीमान जी, पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं करता है, किन्तु कार्बन उत्सर्जन में न्यूनतम वृद्धि की प्रवृत्ति को "कणिक तत्व" (पीएम) के पैरामीटर हेतु परिवेशी वायु गुण तथा फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक तथा पंचकूला नगर में स्थापित चार सतत् परिवेशी वायु गुण मानीटरिंग केन्द्रों से "कार्बन मानोक्साईड" (CO) उत्सर्जन के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है।

(ख) पिछले दो तीन वर्षों के पीएम तथा सीओ डाटा के उपलब्ध ब्योरे अनुबन्ध-I में दिए गए हैं। पीएम 2.5 के लिए अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 40 माईक्रो ग्राम/एम 3 है तथा पीएम 10 के लिए यह 60 माईक्रो ग्राम/एम 3 है। यह नोट किया गया है कि ये दोनों मूल्य गुड़गांव, रोहतक तथा फरीदाबाद के तीनों नगरों में अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक है तथा पंचकूला में उपरोक्त न्यूनतम अनुज्ञेय सीमा में है। पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के अनुसार कार्बन मोनोक्साईड (CO) के लिए अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 2 एम जी/एम 3 है। यह नोट किया गया है कि इस समय ये आंकड़े अधिकतम अनुज्ञेय सीमा से कम है किन्तु पंचकूला, गुडगांव में न्यूनतम वृद्धि प्रकृति को दर्शाते हैं तथा फरीदाबाद में न्यूनतम घटती प्रवृति तथा रोहतक में शीघ्रता से वृद्धि प्रवृति को दर्शाते है।

जीवाश्म ईन्धन का जलना कार्बन उत्सर्जन के लिए एक मुख्य कारण है। विकासात्मक गतिविधियों का उच्चतर स्तर, औद्योगिक विकास तथा उच्चतम वाहन संचलन कार्बन उत्सर्जन की दर में व्यापक वृद्धि के पीछे मुख्य कारण है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर के अनुसार पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के अनुसार पैमाने के रूप में पैरामीटर प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के रूप में नहीं है। इस प्रकार, प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

Annexure-1

Annual Average Data of Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations Setup in Haryana

Name of town	Year	Carbon Monoxide (Mg/m3) (CO)	Particulate Matter less then 2.5 micron (ug/m3) (PM2.5)	Particulate Matter less then 10 Micron (ug/m3) (PM 10)
Panchkula	2012	0.70	-	129.50
	2013	0.85	36.10	91.88
	2014	0.78	46.53	87.00
Gurgaon	2013	0.89	71.55	154.31
	2014	0.97	110.17	137.27
Rohtak	2012	0.68	-	144.93
	2013	0.65	73.52	140.49
	2014	1.16	81.38	128.79
Faridabad	2012	1.346	127.2	255.36
	2013	1.53	107.77	219.92
	2014	1.24	106.34	231.6

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Cold Stores

89. Shri Nayab Saini : Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the cold stores for the storage of fruits and vegetables in Naraingarh; if so, the time by which these cold stores are likely to be constructed ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : जी नहीं, श्रीमान्।

Solid Waste Management Plant

90. Shri Nayab Saini : Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start a Solid Waste Management Plant in village Patwi of Naraingarh Constituency; if so, the time by which it is likely to be started ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान् जी। भारतीय वायु सेना वायुक्षेत्र के 10 चयनित कस्बों में ठोस कचरा प्रबन्धन तथा बरसाती पानी निकासी के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत जिला अम्बाला, तहसील नारायणगढ़ के गांव पटवी में ठोस कचरा प्रबन्धन संयंत्र परियोजना स्थापित की गई थी। अब वन एवं प्रयावरण मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 19.3.2015 को ई०आई०ए० की अनुमति मिल गई है और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने उपरांत संयंत्र में कार्य आरम्भ हो जाएगा।

Supply of Pure Drinking Water

91. Shri Nayab Saini : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide pure drinking water in the rural areas of Naraingarh; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (राव नरबीर सिंह) : श्रीमान् जी, नारायणगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन, नारायणगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार अनुमानों पर आगामी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा।

92. Shri Nayab Saini, M.L.A. : Will the Women and Child Development Minister be pleased to state the name of the schemes to be introduce by the Government under the compaign of Beti bachao Beti Bachao Beti Padhao togetherwith the details thereof ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : जी हाँ, श्रीमान् जी। बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिनांक 22.01.2015 को पानीपत से शुरू किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य सरकार के माध्यम से देश भर में 100 जिलों जिनमें शिशु लिंगानुपात असंतुलित/कम हैं में एक अभियान एवं बहु-क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से शिशु लिंग अनुपात में गिरावट की समस्या का समाधान करने के

लिये चलाया जायेगा। इस योजना का व्यापक उद्देश्य प्रतिकूल व गिरते हुए लिंग आधारित चयनात्मक गर्भपात को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व, शिक्षा व भागीदारी को सुनिश्चित करना है।

हरियाणा राज्य के 12 जिलों नामत: अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी रोहतक, भिवानी, झज्जर, तथा जिनमें असंतुलित लिंग अनुपात है, में आरंभ की गई है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय के माध्यम से मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जायेगा।

निम्नलिखित तीन योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 8 मार्च, 2015 को लड़कियों के विकास के लिये लागू की गई :—

1. **आपकी बेटी हमारी बेटी :**

इस योजना के मुख्य उद्देश्य भ्रूण हत्या को समाप्त करना, शिशु दर को बढ़ाना तथा राज्य में लड़कियों को बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों एवं अनुसुचित जाति के परिवारों में 22 जनवरी, 2015 को या उसके पश्चात् जन्म लेने वाली प्रथम लड़की तथा सभी दूसरी लड़कियों को जिनका जन्म 22 जनवरी या उसके पश्चात् हुआ हो को 21000/- रुपये की राशि प्रदान की जायेगी। यह योजना राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जायेगीं।

इस योजना के बिस्तृत ध्येय निम्नलिखित हैं :—

1. समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु बेटियों के जन्म पर खुशी मनाना ।
2. शिशु लिंग अनुपात में सुधार लाना।
3. लड़कियों का स्कूलों में दाखिला तथा सुनिश्चित करना की वे स्कूल ना छोड़ें।
4. लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाना।
5. बालिकाओं को आर्थिक संशक्तिकरण प्रदान करना।
6. बच्चियों के जन्म के समय पर अति आवश्यक राज्य हस्तक्षेप

2. **हरियाणा कन्या कोष**

हरियाणा कन्या कोष योजना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सैमारोह में 8 मार्च, 2015 को लागू की गई। यह कोष हरियाणा की लड़कियों व महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये गठित किया गया है। इस कोष का उद्देश्य है कि लड़कियों के लिये एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जहां उन्हें विकास व सशक्तिकरण के समान अवसर मिले। इस कोष का आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की बालिकाओं के कल्याण एवं अन्य लड़कियों के विकास व उन्नति के लिये उठाये जाने वाले कदमों के लिये प्रयोग किया जायेगा। राज्य सरकार प्रारम्भिक स्तर पर राज्य प्लान से कोरपस फण्ड बनायेगी। इस कोष के लक्ष्य पूर्ण करने के लिये दान, सैस व सरचार्ज ले सकते हैं। इस कोष के अन्तर्गत दो समितियों का भी गठन किया गया है। राज्य स्तरीय शासक समिति व कार्यकारी समिति। राज्य स्तरीय शासक समिति का गठन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में किया गया है।

[श्रीमती कविता जैन]

3. **बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम**

"बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम" मातृ एवं शिशु अल्प पोषण को दूर करने के लिए 75:25 केंद्र:राज्य की भागीदारी से हरियाणा के 5 जिलों मेवात, फतेहाबाद, नारनौल, पलवल और कैथल में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अंर्तक्षेत्रीय समन्वय और नीति योजना व कार्यों में बदलाव लाकर पोषण पर मुख्य ध्यान केन्द्रित करने के साथ पूर्ण पोषण संवेदनशील कार्यों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से सम स्तरीय लक्ष्य प्राप्त करना है।

सुकन्या समृद्धि खाता

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा राज्य के पानीपत जिला में 22 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के शुभारम्भ के अवसर पर सुकन्या समृद्धि खाता योजना को भी शुरू किया गया। यह योजना समाज में लिंग असंतुलन एवं भेदभाव को मद्देनजर रखते हुये लड़कियों के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने के लिये लड़की के जन्म होने से 10 साल की आयु तक खाता खुलवाया जा सकता है। वह लड़की भी लाभ प्राप्त कर सकती है जो इस अधिसूचना से 1 साल पूर्व 10 वर्ष की आयु पूर्ण करती है।

राज्य के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को मार्च, 2015 तक 1000 खाते खुलवाने के लिये सम्बन्धित जिलों के लोगों को प्रेरित करने के लिये आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। राज्य स्तर पर बजट का प्रावधान नहीं है।

विभिन्न मामले उठाना

11.00 बजे **श्री कर्ण सिंह दलाल :** अध्यक्ष जी, आज के अखबार में इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से सरकार ने किसानों को 5 हजार रूपये मासिक पेंशन देने की योजना बनाई है। यह हरियाणा सरकार की स्कीम नहीं है बल्कि पी०पी०पी० मॉडल .....(शोर एवं व्यवधान) किस तरीके से पाकिस्तान से युवकों के फोन पर एस०एम०एस० आते रहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप प्लीज बैठिये। अब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, कल सदन के नेता ने जो कहा था हम उसका स्पष्टीकरण लेना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष जी, मैं सदन को बता रहा हूं कि (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष जी, ये लोग सुनना ही नहीं चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष जी, यह किसानों की जिंदगी से संबंधित मामला है।

(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैंने इस विषय को कल भी बिल्कुल स्पष्ट किया था और आज भी स्पष्ट कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कल किसानों के हित की घोषणा की है। यह केंद्र सरकार की योजना है। इसकी मोडेलिटिज केंद्र सरकार ही तय करेगी। किसान का लाभ केंद्र सरकार को तय करना है। केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी वह हमारे सामने आ जाएगा। मैं उस पर कोई उल्लेख नहीं करूंगा। मैं केवल एक बात******(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी भी सदस्य की बात रिकार्ड न की जाए।

श्री कुलदीप शर्मा : ******

श्री कर्ण सिंह दलाल : ******

श्रीमती किरण चौधरी : ******

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी भी सदस्य की बात रिकॉर्ड न की जाए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, अगर यह पैंशन स्कीम पी०पी०पी० मॉडल है तो भी हमको इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी भी योजना से अगर किसान को लाभ मिलता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे लिए किसान का लाभ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है फिर चाहे मॉडल कोई भी हो। हम किसी भी मॉडल से एतराज नहीं है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) उसी संदर्भ में मैं आपको एक नई सूचना देने के लिए खड़ा हुआ हूं। (विघ्न) भारत सरकार ने हरियाणा प्रदेश में दो मैगा फूड पार्क्स की भी घोषणा की है। एक फूड पार्क सोनीपत में और दूसरा फूड पार्क पानीपत में स्थापित किया जाएगा। इन परियोजनाओं से हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। हरियाणा प्रदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सोनीपत और पानीपत में दो विशाल फूड पार्क्स प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : ****** (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : ****** (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : ****** (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : सुनिये, सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मुख्यमंत्री जी की बात सुन लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपने हमें जो अपने डिमांड्स दी हैं हमने अब तक उन्हीं पर डिस्कशन की है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन को घोषणाओं की जानकारी देना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो सदन के लिए अच्छी बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो सदन के प्रति सम्मान है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी खास जानकारी सदन को देने के लिए खड़ा हुआ हूं। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होते। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के बारे में जो घोषणा की थी उसमें मजदूरों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब आप बैठिये, अगर किसानों के बारे में कोई घोषणा भारत सरकार ने की है और उसके लिए अगर धन्यवाद किया जाए तो उसमें गलत क्या है। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है।

Shri Kuldeep Sharma : Speaker Sir, there is nothing new. (Interruption) The Central Government has already announced this. What is new ? (Interruption)

श्री अध्यक्ष : सी०एम० साहब के अलावा किसी भी सदस्य की बात रिकार्ड न की जाए। कुलदीप शर्मा जी, आप बैठिये। आप कालिंग अटैंशन मोशन पर जो मुद्दा देते हो उसे डिसकशन के दौरान दूसरे तरफ ही ले जाते हो। आप अपनी सीट पर बैठिये, अभी सदन के नेता बोलने के लिए खड़े हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई अच्छी घोषणा सदन में कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : अगर आप सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है तो फिर आप बैठ जाईये। बाकी जो नये सदस्य हैं उनको तो कोई जानकारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल हरियाणा से संबंधित ही जानकारी दे रहा हूँ। देश भर के लिए जानकारी देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं फिलहाल सदन को जानकारी दे रहा हूं और अगर इस विषय पर चर्चा की जरूरत होगी तो वह भी कर ली जायेगी। दलाल साहब, मुझे भी पता है कि ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि दलाल साहब जी को ब्याह का फोबिया हो गया है जैसा कि इन्होंने कहा कि ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते। इस बारे में मैं उनको बताना चाहता हूँ कि न तो माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी की शादी हुई है और न ही माननीय मुख्यमंत्री जी की शादी हुई है फिर इनको क्यों बता रहे हो कि ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने शादी नहीं की तो ब्याह के गीत सुने हुये तो हैं। इसलिए इस बारे में पता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। एक परियोजना सोनीपत में एच०एस०आई०आई०डी०सी० द्वारा स्थापित की जायेगी जिस पर 164.33 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और यह परियोजना बरही, सोनीपत में 76 एकड़ भूमि पर लगाई जायेगी और उस परियोजना पर भारत सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार से पानीपत में जो परियोजना लगाई जायेगी वह पी०पी०पी० मोड के आधार पर लगाई जायेगी और यह परियोजना कन्टीनैंटल वैयर हाउसिंग

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लगाई जायेगी। भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में निजी लोगों की इस पहल को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार स्वागत करती है। इन दोनों फूड पार्कों में 40-50 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जायेंगी और 300 से 400 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 11000 युवकों के लिए रोजगार पैदा होंगे। इन पार्कों के स्थापित होने से आस पास के पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद और झज्जर आदि जिलों के उद्यमियों और किसानों को लाभ मिलेगा। (थंपिंग) प्रस्तावित विशाल फूड पार्क का प्राथमिक मुख्य उद्देश्य खराब होने वाली वस्तुओं जैसे कि फल और सब्जियाँ, मसाले, डेरी उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का होगा। मुझे केवल इतनी ही जानकारी सदन के सम्मुख रखनी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वांयट ऑफ ऑर्डर पर बोलना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) मेरा निवेदन है कि इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम से किसानों के लिए 5,000/-रुपये प्रति माह पैंशन देने की घोषणा की है। आज इंडियन एक्सप्रैस अखबार में इस बारे में यह लिखा है कि यह कोई पी०पी०पी० मॉडल है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इसका मतलब यह पैंशन तो नहीं हुई। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, हम तो श्री करण सिंह दलाल जी को विद्वान मानते थे। (शोर एवं व्यवधान) मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पी०पी०पी० का मतलब होता है पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप जिसके अंतर्गत पब्लिक सरकार का हिस्सा होती है जो कि शायद दलाल साहब को मालूम नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यदि इनको पी०पी०पी० बोर्ड से इतनी तकलीफ थी तो इन्होंने अपने शासनकाल में हजारों करोड़ों रुपये की जमीन को एम०ओ०यू० के माध्यम से रिलांयस को एस०ई०जैड० के नाम से क्यों दी थी ? वह सब क्या था ? ये तो पैट्रोलियम रिफाईनरी को भी पी०पी०पी० मोड में लेकर गये थे। (शोर एवं व्यवधान) इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि फार्म इन्कम इंश्योरैंस स्कीम इनकी यू०पी०ए० की सरकार लेकर आई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में केवल सूचना दी है। उन्होंने सदन में अपनी बात कहने से पहले यह कहा था कि प्रदेश के लिए एक अच्छी खुशखबरी है जिसकी वे सदन में सूचना देना चाहते हैं। इस बारे मे उन्होंने कोई और ब्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि जैसे-जैसे इसके बारे में रूल्ज़ एण्ड रैगुलेशंज़ सामने आयेंगे इस मामले में बाद में बात करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) उन्होंने अपनी बात सदन में कहने से पहले यह बात भी कही थी। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि यू०पी०ए० सरकार जो फार्म इन्कम इंश्योरैंस स्कीम लेकर आई थी वह भी इसी प्रकार पी०पी०पी० मोड के तहत ही लेकर आई थी। इंश्योरैंस और पैंशन स्कीमें पूरी दुनिया में पी०पी०पी० मोड में दी जाती हैं। (शोर एवं व्यवधान) सवाल यह है कि ऐसे हो या वैसे हो किसानों व मजदूरों का फायदा होना चाहिए जो हमारी सरकार किसानों को देने जा रही है। हमारी सरकार किसानों को पैंशन के रूप में 5000/- प्रति माह देने जा रही है। (शोर एवं व्यवधान) यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पैसा हम कहां से लेकर आयेंगे तथा कैसे लेकर के आयेंगे, उसकी चिंता इन साथियों को करने की जरूरत

[कैप्टन अभिमन्यु]

नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) हमें हमारे किसानों के लिए आम खाने से मतलब है, ये पेड़ गिनने की चिंता मत करें। (शोर एवं व्यवधान) आम किसानों को मिल जाने चाहिएं। फल उनको मिलना ही चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता ने सदन में जानकारी दी है कि वे हरियाणा प्रदेश में 2 फूड प्रोसैसिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं। मैंने आज अखबारों के माध्यम से भी पढ़ा और आपने भी सूचना दी कि आप हरियाणा में इस तरह के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं जो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ-साथ मैं आपकी जानकारी में एक और बात लाना चाहूंगा कि जब केन्द्र में एन०डी०ए० की सरकार होती थी उस समय श्री नीतिश कुमार जी मंत्री होते थे, उस समय उन्होंने हरियाणा में 2 फूड प्रोसैसिंग प्लांट्स एक सिरसा में और एक सोनीपत में लगाने की बात की थी। इन 2 फूड प्रोसैसिंग प्लांट्स की परियोजनायें बाद में ठण्डे बस्ते में डाल दी गई थी। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस बारे में भी केन्द्र सरकार को पत्र वगैरह लिखा जायेगा तथा उन प्लांट्स को भी दुबारा हरियाणा में लेकर आयेंगे ताकि उस इलाके को फायदा हो सके जिसकी खासकर पिछले 10 वर्षों से अनदेखी हुई है जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और जींद जिले शामिल हैं। मैं आपकी तरफ से आश्वासन चाहूंगा कि आप सदन को अवगत करायें कि क्या आप इसके लिए प्रयास करेंगे, पत्र-व्यवहार करेंगे और इस तरह का हरियाणा के अंदर प्रोजैक्ट लेकर आयेंगे ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष का आभारी हूं कि इन्होंने हमें एक बात स्मरण कराई है कि ऐसी योजनाएं 10 साल पहले बनी थीं, 10 साल पहले जो भी योजनाएं बनी या घोषणाएं हुई थीं, अगर वह पूरी नहीं हुई थीं तो उनको याद कराना हम सब का दायित्व बनता है और उनके लिए हम पत्र लिखने के लिए तैयार हैं। जो घोषणाएं आज तक हुई हैं और यदि उन पर कार्यवाही नहीं हुई है तो इसकी जिम्मेवारी वास्तव में उन सरकारों पर जाती है जिन्होंने वे घोषणाएं की थी और उनको लागू नहीं किया था। जो घोषणाएं हुई हैं और अगर वे पूरी नहीं हुई हैं तो हम उनकी फिजीबिलिटी देखते हुए पत्र लिखने में कोई संकोच नहीं करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, आपने ओरियैंटेशन प्रोग्राम की हमें सी०डी० उपलब्ध कराई है। उस प्रोग्राम के माध्यम से हमें बहुत सी बातें सिखाई गई हैं लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि हमें बहुत बार लगता है कि सदन के टाइम की किलिंग हो रही है। बहुत सी अच्छी बातों पर भी ऐसी बातों का उठाना मुझे लगता है कि सदन के समय को खराब करने के लिए किया जाता है। माननीय सदस्यों को पता है कि यह घोषणा है और इस पर कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता फिर भी जानबूझकर सदन का समय बर्बाद करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, योजनापूर्वक समय के बर्बाद करने पर आप कोई कानून बनाएं या तय करें। आपके यहां कोई रैड लाइट बटन होना चाहिए और टाइम किलिंग करने वालों को आप नेम कीजिए। ये सदन का अमूल्य समय व्यर्थ में बरबाद कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन का समय 90 लोगों का समय है, पूरे प्रदेश का समय है और अनाउंसमैंट पर समय बर्बाद किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) केवल एक जानकारी दी गई है और उस पर समय बर्बाद किया जा रहा है अत: अध्यक्ष महोदय, आप इसके लिए कुछ तय कीजिए।

Shri Kuldeep Sharma : Hon'ble Speaker Sir, I want your ruling whether only the Minister has the privilege to speak or a Member can also speak. ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि मंत्री जी जो चाहें बोलें लेकिन दूसरे सदस्यों को बोलने का समय न दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आप इस तरह सदन का समय बर्बाद करने वालों के लिए कोई कानून बनाएं। (शोर एवं व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उन पर वक्तव्य

(i) **ध्वनि प्रदूषण से मानवों तथा पक्षियों पर हानिकारक प्रभावों से संबंधित**

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विधायक श्री कर्ण सिंह दलाल जी की तरफ से मनुष्यों व पक्षियों के लिए ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव सम्बंधी एक ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई है जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। श्री कर्ण सिंह दलाल अपनी सूचना पढें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक और अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि शादी विवाहों के कार्यक्रमों में तथा अन्य समारोहों में डी०जे० का बजना मानव शरीर में विशेष रूप से वृद्धों तथा बच्चों में घातक परिणाम डाल रहा है। हिन्दुस्तान टाइम्ज में एक एक्सपर्टस रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि डी०जे० से जो इतना शोर शराबा होता है उससे पक्षियों के जीवन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, उस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इस डी०जे० के बर्दाश्त न करने वाले शोर शराबे की वजह से पक्षियों का सहवास भी सम्भव नहीं है तथा पक्षियों के प्रजनन पर विपरीत असर पड़ रहा है। हिन्दुस्तान टाइम्ज की 11.3.2015 की जो रिपोर्ट आई है वह मैंने कालिंग अटैंशन मोशन के साथ लगाई थी। इससे जहां पशु पक्षियों का जन्म होना था उस पर असर आने लगा वहीं बड़े बूढ़ों की और बच्चों की सेहत पर भी असर आने लगा इसलिए मैं इस सरकार से यह निवेदन करता हूं कि डी०जे० बजाने पर प्रतिबंध लगाने तथा अन्य शोर प्रदूषण करने वालों पर कोई कानून निर्मित करना चाहिए। सरकार इस बारे में अपना वक्तव्य इस महान सदन के सामने रखे। (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल ने लोक महत्व का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आज सदन में उठाया है। इस पूरे मामले में जो उनकी चिंता है उनकी चिंता का महत्व आज सरकार भी स्वीकार करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से पूरा सदन इस बात पर सहमत होगा कि आज बहुत ज्यादा आधुनिक म्यूजिक के इक्विपमैंट्स आ गए हैं। आज गांव-गांव में चाहे शादी ब्याह हों या कोई और कार्यक्रम हों डी०जे० का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है और इसके प्रतिकूल प्रभाव न केवल मनुष्य पर बल्कि दूधारू और पालतु पशुओं पर भी पड़ता है पशुओं के दूध, सेहत, व्यवहार तथा प्रजनन शक्ति पर भी ध्वनि प्रदूषण का असर पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ध्वनि प्रदूषण से जहां मनुष्य प्रभावित हैं, पशु प्रभावित हैं वहीं पक्षिओं के जीवन पर भी ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह विषय पूरी तरह से चिंता का विषय है। मैं माननीय साथी की चिंता को स्वीकार करते हुए इन्होंने हिन्दुस्तान टाईम्ज में जो लेख छपा है उसमें रिसर्च को लेकर

[कैप्टन अभिमन्यु]

उल्लेख किया है। यह बात सच है कि हरियाणा में और स्वदेश में इसके दुष्परिणाम को लेकर कोई साईंटिफिक रिसर्च उस स्तर की नहीं हुई है जो सीधे तौर पर पक्षियों पर हो। जिसकी चिंता माननीय सदस्य ने व्यक्त की है कि ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। परंतु विदेशों में इस पर अनेक रिसर्च हुए हैं। पक्षियों की जो जीवन शैली है उस पर इसका इस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। एक मात्रा से अधिक ध्वनि प्रदूषण से पक्षियों को अपनी बोल चाल की प्रक्रिया को बदलना पड़ा है और उसमें परिवर्तन लाना पड़ा है। अधिक ध्वनि प्रदूषण से उनके संवाद के अंदर इस प्रकार की दूरियां बनी हैं कि उनका जो सामान्य जीवन था वह सामान्य नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण का स्तर इतना अधिक हो गया है कि पक्षियों में काफी प्रजातियां ऐसी हैं जो अपना संवाद करने के लिए अपनी ध्वनि ऊंची करनी चाहते हैं लेकिन उनके शरीर की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वे अपनी ध्वनि ऊंची कर सकें इसलिए उनको ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थान पर जाने के लिए विवश होना पड़ा है। जब वे अन्य स्थान पर जाते हैं तो हो सकता है कि जो वहां का हैबीटेट है वह उनके नैचूरल हैबीटेट इनवॉयरमेंट के अनुकूल न हो। इससे संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस चिंता की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य में ध्वनि प्रदूषण को लेकर के कानून बनाया हुआ है। उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि हरियाणा में पंजाब उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1956 अपने प्रदेश में लागू होता है। इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (ii) के अधीन किसी गली, बाजार, खुले स्थान में या किसी परिसरों में किसी बड़े उपकरण को चलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना अनिवार्य है। इसी तरह से इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसे उपकरण चलाने के लिए अनुमति नहीं लेता है तो उसको 6 महीने की सजा और 1 हजार रूपये जुर्माने के दण्ड दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह से इसी अधिनियम में शोर प्रदूषण (विनियम तथा नियन्त्रण) नियम, 2000 की नियम 5 तथा 5 क की तरफ सदन का ध्यान आकृषित करना चाहूंगा कि Naise Pollution Regulation and Control Rulls में फर्दर रिस्ट्रिक्शंज लगाई हैं कि पब्लिक प्लेसिज पर लाऊड स्पीकर या ध्वनि पैदा करने वाले अन्य उपकरण हैं वे बिना कंपिटेंट अथॉरिटी की परमिशन के इस्तेमाल न किए जायें। रूल-7 में स्पष्ट किया गया है कि ध्वनि के जो परमिटिड लैवल हैं। उससे ऊपर कोई 10 डैसीमल एक्सीड करता है तो उसको सजा दी जायेगी। एंबीयैंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन माना जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी कंपिटेंट अथॉरिटी भी प्रिसक्राईब्ड हैं। किसी विषय पर एस.डी.एम. से परमिशन लेनी जरूरी होती है और किसी विषय पर डी.एस.पी. से परमिशन लेनी जरूरी होती है। इस तरह की जिम्मेवारियां कानून के अंदर तय की हुई हैं। सदन का समय बहुत कीमती है इसलिए मैं ज्यादा टैक्नीकल बातों पर नहीं जाना चाहता। क्योंकि यह सदन हरियाणा की 2.50 करोड़ से ज्यादा जनता का प्रतिनिधित्व करता है और हरियाणा प्रदेश का पूरा नेतृत्व यहां बैठा है। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश का राजनीतिक ही नहीं अपितु सामाजिक नेतृत्व भी इस सदन में बैठा है अगर इस सदन की इस प्रकार की भावना निकलती है कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश में डी.जे. पर सख्त रूप से कानूनी अंकुश लगाया जाये तो मैं भी अपनी भावना को इसके साथ जोड़ता हूं। इससे भी बढ़कर मैं तो यह समझता हूं कि कानून से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम इस बारे में पूरे समाज के अंदर जागृति पैदा करें, चेतना पैदा करें और संवेदना पैदा करें कि इस ध्वनि प्रदूषण के कारण अपने घर में, अपनी गली में बुजुर्गों, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, नवजात शिशु व

माता और पक्षियों का कितना नुकसान होता है। इसके अलावा जो हमने अपने घर में पशु रखे हुए हैं और जिनको हम अपने घर का एक सदस्य मानकर पालते हैं इससे उनको कितना नुकसान होता है और आने वाले समय में इस सबसे उनके ऊपर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। मैं माननीय सदस्य के इस प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस महान सदन का ध्यान इस ध्वनि प्रदूषण से पक्षिओं तक को होने वाले नुकसान की ओर आकर्षित किया है। मैं इस सदन से आपके माध्यम से यह अपील करता हूं कि यहां पर यह निर्णय किया जाये कि हम सभी अपने-अपने स्तर पर अपने समाज में और अपने क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के नियमों की जो उल्लंघना होती है उसको लेकर हम पूर्ण रूप से सजग हों और इस बारे में समाज के प्रत्येक स्तर पर चेतना पैदा करने का काम करें। धन्यवाद।

श्री श्याम सिंह राणा : स्पीकर सर, मेरे पास लाडवा से यह शिकायत आई है कि एक जगह पर ऊंची आवाज़ में डी.जे. बजाने के कारण कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बलात्कार की घटना को अंज़ाम दिया गया। इसलिए मेरी यह पुरज़ोर मांग है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ऊंची आवाज में डी.जे. बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो और इसकी उल्लंघना करने वाले के लिए कठोर से कठोर दण्ड का प्रावधान किया जाये।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है उसके बारे में मुझे इन्होंने बाहर ही बता दिया था कि सरकार दो चीज़ों को बंद नहीं होने देगी बाहर डी.जे. को बंद नहीं होने देगी और इस सदन के अंदर अनिल विज जी का जो डी.जे. बजता है यह भी बंद नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आज अनिल विज जी तो बोले ही नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस बारे में इतना कम्पलीट जवाब दे दिया है कि अब आपके पास पूछने के लिए कोई सप्लीमैंट्री है ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने इस हाऊस में इतना महत्वपूर्ण विषय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस सदन व सरकार के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया है और जिसके लिए मैंने माननीय सदस्य का आभार भी व्यक्त किया। इसके लिए मैंने माननीय सदस्य की इसके लिए प्रशंसा भी की है। अब अगर वे अपने ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अनर्थक बात कहकर व्यर्थ करना चाहते हैं तो फिर यह माननीय सदस्य की मर्जी की बात है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। इस पूरे सदन ने उनकी भावना को स्वीकार किया है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने इस सारी बात की सराहना की है और यह भी माना है कि यह जो ध्वनि प्रदूषण है यह बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर आया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने किसी भी मंत्री के द्वारा विवाह समारोहों में सरकारी गाड़ियां न लेकर जाने के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इसलिए शायद कैप्टन साहब विवाह-शादियों में आजकल नहीं जा रहे हैं जिस कारण जो डी.जे. का शोर होता है वह इनके कानों तक नहीं जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो विवाह-शादियों में डी.जे. बजता है आज उसकी हालत यह है कि जैसा श्याम सिंह राणा जी ने भी कहा इसकी वजह से शादी-विवाह का फंक्शन एक आफत बन जाता है। इससे शादी-विवाह के समारोह में जाने वाले लोग आपस में किसी भी प्रकार की बात नहीं कर सकते। इससे बच्चों और बड़े बूढ़ों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने भी यह माना है और इस बारे में इन्होंने जिन कानूनों का जिक्र

[श्री करण सिंह दलाल]

किया है कि इन कानूनों के तहत एस०डी०एम० और डी०सी० से इज़ाजत ली जाये। इनकी यह बात तो ठीक है लेकिन आप इस बात की इंक्वायरी करवा लीजिए कि इस बारे में देहातों में लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए वहां पर दिन-रात जवान बच्चे शराब पीकर बड़ी बेहूदगी से इस डी.जे. के ऊपर जो तमाशा करते हैं वह हमारे हरियाणा प्रदेश की जो स्थापित परम्परायें हैं और जो हमारी संस्कृति है उसके पूरी तरह से विपरीत है। इन्होंने कानून का तो हवाला दे दिया लेकिन इन्होंने जो डी.जे. के ऊपर पाबंदी लगाने से मना किया है इसके लिए मैं माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हरियाणा प्रदेश में डी.जे. के ऊपर अभी सख्त पाबंदी नहीं लगाई गई तो इस डी.जे. की वजह से आने वाले दिनों में हरियाणा में गांव-गांव में होने वाले झगड़ों की संख्या में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जायेगी। आप इस बात की इंक्वायरी करवा लीजिए आपको बहुत सी ऐसी एफ.आई.आर. मिलेंगी जिनमें इस डी.जे. के ऊपर झगड़ा होने से गांवों में गोलियां तक चलाई गई। पहली बार पंचायतों ने मिल-जुलकर यह फैसला लिया कि डी.जे. पर प्रतिबंध रहेगा। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और सभी बिरादरी मिल कर डी.जे. पर प्रतिबंध लगा रही हैं और केवल कानून का सहारा लेकर डी.जे. बजाने वाले बच जाते हैं और उन पर वह प्रतिबंध नहीं लग पाता। हमारी जो बड़ी-बड़ी खाप पंचायतें हैं, अगर वे अपने नौजवानों को इस गलत रास्ते से हटा कर सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। उनके दिये हुये अच्छे आदेशों को अगर इस तरह के कमजोर कानून की वजह से लागू नहीं किया जा सकता और यह सभ्यता बिगाड़ की ओर जा रही है तो मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सदन से निवेदन है कि इसमें कोई सख्त प्रावधान करके डी.जे. को बैन किया जाये। आप 6 महीने के लिए इसको ट्रायल बेसिज पर लागू करके देख लें। अगर इसका अच्छा नतीजा आये तो ठीक है और अगर अच्छा रिजल्ट न आये तो उसको बाद में फिर बदला जा सकता है।

डॉ० अभय सिंह यादव : माननीय मंत्री जी ने जो लिखित जवाब दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमैंट कोट की गई है मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। The Hon'ble Supreme Court of India had directed on 18.7.2005 in Writ Petition (C) No. 72 of 1998 with Civil Appeal No. 3735 of 2005 that there shall be a complete ban on bursting sound emitting fire crackers between 10:00 P.M. and 6:00 A.M. and no horn should be allowed to be used at night between 10:00 P.M. and 6:00 A.M. in residential areas. इसमें जो टाईम दिया हुआ है उसी के अनुसार मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री व माननीय मंत्री जी से यह सुझाव है इसी नियम के तहत अगर इन्हीं टाईम्स पर डी.जे. पर भी बैन कर दिया जाये तो इससे पब्लिक न्यूसैंस में काफी रिलीफ मिल सकता है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से श्री कृष्ण लाल पंवार पदासीन हुए।)**

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों का जो सुझाव है वह अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आज सामाजिक संस्थाएं और विभिन्न पंचायतें भी इस डी.जे. को लेकर अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने की बात कर रही हैं और कई जगह प्रतिबंध लगाया भी है। अगर इसमें कुछ कानूनी अड़चन है और पंचायत उसको लागू करना चाहती है तो सरकार का समर्थन उन पंचायतों के साथ है। जहाँ तक कानूनी प्रावधान का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी हैं उनको कंप्लाई करते हुए हरियाणा में आवश्यक नियम बनाये गये हैं। उनकी

अनुपालना कर ली जाये तो उससे भी बहुत सुधार हो सकता है। यह बात भी सही है कि उन नियमों का उल्लंघन हो रहा है और इसकी वजह से कई जगह झगड़े हो रहे हैं और पिछले साल में लगभग 16 केस भी दर्ज हुये हैं जिनमें से 4 में कन्विक्शन हुई है। मैं इस बात को जिम्मेदारी से स्वीकार करता हूँ कि अगर हम इस कानून का सख्ती से पालन करेंगे तो भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ जायेगा। अगर कोई पंचायत, खाप पंचायत या कोई भी सामाजिक संरथा इस पर प्रतिबंध लगाना चाहती है तो सरकार का अपेक्षित सहयोग निश्चित तौर पर उनको मिलेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सभापति महोदय, मेरी एक अंतिम सप्लीमैंट्री और है।

श्री सभापति : कर्ण सिंह जी, मंत्री जी आपकी सप्लीमैंट्री का जवाब दे चुके हैं इसलिए अब आप बैठ जाईये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सभापति महोदय, यह मेरी अंतिम सप्लीमैंट्री है। सभापति महोदय, डी.जे. की परमिशन देने की पॉवर उपायुक्त और एस.डी.एम. के पास होती है। अगर आप इसको डी.सी. और एस.डी.एम. से हटा कर ग्राम पंचायत के स्तर पर सरपंच के पास दे दें तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि वह ग्राम पंचायत का फैसला होगा और उसमें कोई भी डी.जे.बजाने की परमिशन नहीं देगा, सरपंच कभी भी परमिशन नहीं देगा। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी समझ के अनुसार एक सुझाव दिया है। इस सुझाव पर विचार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। उस सुझाव के पक्ष और विपक्ष के विचारों को देख कर अगर उचित लगेगा तो सरकार इस सुझाव पर अमल भी कर सकती है।

(ii) **राज्य में गरीब किसानों को गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देकर उनकी सहायता करने संबंधी**

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे परमिन्द्र सिंह ढुल तथा पांच और विधायक श्री जसविन्द्र सिंह संधू, जाकिर हुसैन, राजदीप फौगाट, प्रो. रविन्द्र बलियाला तथा श्री बलकौर सिंह कालांवाली द्वारा हरियाणा प्रदेश में गरीब किसानों को अधिकतम मूल्य पर बोनस देने और सहायता देने संबंधी एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह सदन प्रस्ताव या नोटिस हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 68 के तहत आने वाली शर्तों को पूरा नहीं करता इसलिए इसे स्थगन प्रस्ताव के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामले के महत्व को समझते हुए इस स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण सूचना के तौर पर स्वीकार करता हूं। श्री परमिन्द्र सिंह ढुल प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़े। श्री जसविन्द्र सिंह संधू, जाकिर हुसैन, राजदीप फौगाट, प्रो. रविन्द्र बलियाला तथा श्री बलकौर सिंह कालांवाली विधायक इस विषय पर सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : सभापति महोदय, हम इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक एवं अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि राज्य में गेहूं के समर्थन मूल्य पर गरीब किसानों को बोनस देकर सहायता करें। हरियाणा के किसानों ने उल्लेख किया है कि हरियाणा विधान सभा के आम चुनावों में स्वामी भाथन रिपोर्ट की सिफारिशों के लागू करने का एक महत्त्वपूर्ण चुनाव वायदा किया गया था अब इसको लागू न करने के रूप में राज्य के किसानों

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

को आघात पहुंचा है। परिणामस्वरूप, उनकी समस्याएं कई गुणा बढ़ गई हैं। गेहूं की उत्पादन लागत 1700/- रूपये से अधिक आती है। जैसाकि बाजार में निवेश की लागत ऊंची है। यदि सरकार केन्द्रीय सरकार को गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए राजी करने में असमर्थ है तो यह औचित्य का विषय होगा कि सरकार 300/- रूपये प्रति क्विंटल बोनस देकर उनकी लंगहाली को कम करने का निर्णायक प्रस्ताव करे।

दूसरा सरकार को सहकारी बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश जारी करने चाहिए कि कम से कम एक वर्ष के लिए किसानों से बकाया ऋण वसूलने के प्रयास नहीं करने चाहिए तथा समीक्षण अवधि के लिए मूल राशि पर ब्याज माफ किया जाए।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री परमिन्द्र सिंह ढुल, श्री जसविन्द्र सिंह संधू, जाकिर हुसैन, राजदीप फौगाट, प्रो. रविन्द्र बलियाला तथा श्री बलकौर सिंह कालांवाली इन सब ने सदन का ध्यान किसानों के वर्तमान संकट की तरफ खिंचते हुए बोनस की मांग की है। उसके अलावा सहकारी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश जारी करने के लिए कहा है कि किसानों के बकाया ऋण वसूली के प्रयास न करें तथा समीक्षण अवधि पर मूल राशि पर ब्याज माफ किया जाए। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इसका जो दूसरा पत्र है उस पर कल सदन में सदन के नेता ने घोषणा की है कि आने वाले समय में किसानों के फसली ऋण का जो समय पर भुगतान करेगा उनके ब्याज का हिस्सा सरकार अदा करेगी। उनकी उस बात में से इन्ट्रस्ट माफी का जो विषय है वह आगे बढ़ा है। उसके साथ-साथ सरकार ने बैंकों में जो पुराना लोन है उस लोन को भी पुनः निर्धारित करने के आदेश दे दिए हैं। जिससे किसानों को फिर से वह लोन मिल जाए और आगे के तीन साल में वह कन्वर्ट हो जाए ताकि सुविधा के साथ किसान उसको भर सकें। सर, वर्तमान आपदा को देखकर दो विषय और भी आगे बढ़े हैं कि सरकार तुरन्त गिरदावरी करा रही है जिसकी 31 मार्च 2015 तक रिपोर्ट मांगी है। जिसकी इसी सदन में प्रशंसा भी हुई कि जो मिनिमम मुआवजा है वह 250/- रूपये से बढ़ाकर 500/- रूपये प्रति एकड़ किया गया है। सभापति महोदय, जो नुकसान का आंकलन आ रहा है उसमें राज्य सरकार के रिसोर्सिज सीमित होते हैं और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर 500 करोड़ रूपये के मुआवजे की मांग भी की है। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास यह विभाग है। जिन किसानों का नुकसान ज्यादा हुआ है। उनको बिजली बिलों में भी राहत देने की घोषणा कल सदन में की गई थी। सभापति महोदय, जिन किसानों की फसलों का 25 से 50 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है, उन किसानों को 50 प्रतिशत बिजली के बिलों में और ट्यूबवैल के बिलों में छूट दी जायेगी और जिन किसानों की फसल 100 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है उन किसानों को 100 प्रतिशत तक बिजली के बिलों में और ट्यूबवैल के बिलों में छूट दी जायेगी। सभापति महोदय, सरकार इस विषय के दूसरे पक्ष में भी सीमित रिसोर्सिज के बाजवूद किसानों को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस बारे में प्रश्न उठाया है उससे सरकार सहमत है लेकिन सरकार के रिसोर्सिज लिमिटेड है इसलिए सरकार चाहती है कि केन्द्र सरकार की तरफ से हरियाणा प्रदेश को सहयोग मिले, जिससे सरकार किसानों को बोनस दे सके। सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार को 12 नवम्बर, 2015 को इस विषय में पत्र लिखा था। उस पत्र के द्वारा हरियाणा प्रदेश में 300 रूपये

प्रति क्विंटल गेंहू पर बोनस देने की माँग की गई थी कि इसके लिए सहायता करें। सभापति महोदय, अब थोड़ी दिक्कत और बढ़ गई है क्योंकि जब यह पत्र लिखा था तो उस वक्त ऐसी आपदा नहीं थी। सभापति महोदय, अब किसानों की फसलों का नुकसान अधिक हो गया है। जिन किसानों की फसलों का 25 प्रतिशत से कम नुक्सान हुआ है सरकार ने उनके नॉर्म्स नहीं बनायें हैं और उन किसानों को सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता भी नहीं दी जा सकती है। सभापति महोदय, यदि बोनस केन्द्र सरकार की तरफ से दिया जायेगा तो उसके घेरे में सभी किसान आ जायेंगे और जो फसलों का नुक्सान हुआ है, उसकी पूर्ति भी हो जायेगी। मैंने इस बारे में कृषि विभाग से पूछताछ की कि क्या किसी भी सरकार ने किसानों को अपनी तरफ से बोनस दिया है तो विभाग ने अपनी जानकारी में बताया कि किसी भी सरकार ने अपनी तरफ से कभी भी किसानों को बोनस नहीं दिया है। सभापति महोदय, सामान्यत: स्टेट छोटी होने के कारण रिसोर्सिज की जो लिमिटेशन होती है उसके लिए रिसोर्सिज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? इस बारे में पिछली राज्य सरकार को इसके कारणों का पता नहीं चला और इसलिए उस काम को पिछली सरकारें नहीं कर पाई। सभापति महोदय केन्द्र सरकार की तरफ से जब-जब भी प्रदेश के किसानों को बोनस मिला है तो वह केन्द्र सरकार की तरफ से ही मिला है। आज तक किसानों को 10 रूपये, 25 रूपये, 50 रूपये और 100 रूपये तक बोनस मिला है। मैं समझता हूं कि यह समय बहुत विकट है। सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने किसानों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है उनकी भावनाओं के साथ सरकार सहमत है। मैंने पहले भी कहा है कि इस बारे में केन्द्र सरकार से मांग की गई है। सभापति महोदय, चूंकि बेमौसमी बारिश के कारण अब परिस्थिति बदल चुकी है, हम दोबारा से केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर निवेदन करेंगे कि किसानों को बोनस दिया जाये। सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में ही बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से नुकसान हुआ है बल्कि देश के अनेक हिस्सों में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से पश्चिमी विक्षोभ हुआ है, यह दिसम्बर और जनवरी के महीने में आता है। अध्यक्ष महोदय, इस बार बेमौसमी बारिश मार्च के महीने में आई है। उसके कारण जो हरियाणा प्रदेश में किसानों की फसलों को हानि हुई है उसकी पूर्ति के लिए हम केन्द्र सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें किसानों का सहयोग करें। सभापति महोदय, एक बात मैं सदन के साथ साझा करना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार की जो आपदा प्रबंधन की राशि का मुआवजा है, किसानों को खेत में से जो खर्चे और आमदनी होती है उसके हिसाब से यह राशि बहुत मामली है। सभापति महोदय, 10 हजार कोई बड़ी राशि नहीं हैं क्योंकि हर साल हर किसान को अपने खेत में से प्रति एकड़ के हिसाब से 30-35 हजार रूपये मिलते हैं। सभापति महोदय, हरियाणा सरकार इस विषय पर और अधिक अच्छा रिस्क मैनेजमैंट का सिस्टम बनायें ताकि किसानों की मदद की जा सके। सभापति महोदय, अनेक राज्यों में रिस्क-मैनेजमैंट काफी अच्छे लेवल पर पहुंच गया है और उन राज्यों में 25-25 हजार रूपये किसानों को बीमा कम्पनियों से भुगतान हो रहा है। हरियाणा प्रदेश में भी रिस्क मैनेजमैंट को अच्छा करना है। प्रदेश के किसान केन्द्र सरकार की पॉलिसी "कृषि आय बीमा योजना" की ओर बढ़े इसके लिये हमें किसानों को जागृत करना है। पॉलिसी में दोनों आप्शन दिये गए हैं, राज्य सरकार अपनी सुविधानुसार इस पॉलिसी में फेरबदल कर सकती है। केन्द्र सरकार अपना शेयर राज्य सरकारों को दे देगी, उसके बाद राज्य सरकार उस पॉलिसी को ज्यों का त्यों भी लागू कर सकती है। कल ही मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताया था कि गुजरात सरकार ने अपनी इन्श्योरेंस की कारपोरेशन बनाई हुई

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

है। कृषि मंत्री होने के नाते मैंने यह अनुभव किया है कि इतना बड़ा भुगतान बीमा एजेंसी को हम कर रहे हैं, उतनी बड़ी मात्रा में हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और किसानों के तीन हिस्सों में से हमें एक हिस्से के बराबर भी बीमे की राशि वापिस नहीं आ रही है जबकि बहुत बड़ी मात्रा में पैसा बीमा कम्पनियों के पास जा रहा है। निश्चित रूप से हम ऐसा कोई कारपोरेशन खड़ा कर सकते हैं। राज्य के पास पैसा रहेगा तो किसानों की सुविधानुसार नियम बनाकर इस पॉलिसी को अच्छी तरह से इम्पलीमैंट कर सकते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि जब भी राज्य पर कोई प्राकृति आपदा आएगी तो यह पॉलिसी किसानों को राहत दिलाने का काम करेगी। निश्चय ही इस प्रकार की संवेदना सदन के सभी माननीय सदस्यों की होगी, हम केन्द्र सरकार से प्रयास करेंगे कि इस विषय में हमारी मदद करें। एक विषय माननीय सदस्यों ने स्वामीनाथन कमीशन का उठाया था, जिसकी जानकारी मैं सदन को पहले ही दे चुका हूँ। (विघ्न)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने किसानों की कुछ बातें अपने जवाब में कही है। सदन में कुछ दिन पहले चौधरी देवीलाल जी का जिक्र आया था, मुझे भी सौभाग्य से चौधरी देवीलाल जी के साथ काम करने का मौका मिला था। चौधरी देवीलाल ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और हरियाणा प्रदेश को अलग राज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चौधरी देवीलाल को देश भर में किसानों के बड़े नेता के रूप में जाना जाता था। चौधरी देवीलाल किसानों के सच्चे हमदर्द थे और किसानों के हकों के लिए अपना संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। सभापति महोदय, वर्ष 2014 में पिछली राज्य सरकार ने गेहूँ की उत्पादन लागत 1942.76 रुपये प्रति क्विंटल आंकी थी लेकिन केन्द्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। वर्ष 2014 में एक पत्र के माध्यम से केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया गया था कि गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। सभापति महोदय, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि आज हरियाणा का किसान दुखी है। डीज़ल के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार ने वैट बढ़ा दिया है। प्रदेश में यूरिया न मिलने के कारण खाद के रेट बढ़ चुके हैं। छोटे किसान जो ठेके की भूमि पर खेती करते थे, वह महँगी होती जा रही है। महँगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। सभापति महोदय, सरकार ने ऐसे नॉर्म्स बनाये हुए हैं जिसमें बेमौसमी बारिश के कारण किसी किसान की 25 प्रतिशत से कम फसल का नुकसान होगा तो उसको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में ऐसे किसान भी हैं जिनकी फसल 25 प्रतिशत से थोड़ी कम 10-12 मन और अधिक से अधिक 18-20 मन फसल खराब हुई है, वे इस दायरे में कभी आयेंगे ही नहीं।

सभापति महोदय : ढुल साहब, आप अपनी सप्लीमैंटरी पूछिये।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : सभापति महोदय, मैं सप्लीमैंटरी का ही जवाब दे रहा हूं। किसानों को फसल पर बोनस देकर ही बचाया जा सकता है। किसान आयोग कठित करने के बाद भी उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है और हिन्दुस्तान में आजादी के बाद एक वर्ग है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है वह है देश का अन्नदाता। जिसकी फसल की कीमत 50 रुपये के हिसाब से केवल सिर्फ 3.6 प्रतिशत ही बढ़ाई जा रही है। एक दूसरा वर्ग कर्मचारी का भी है जिसको प्रत्येक छमाही में महंगाई भत्ता मिलता है। आज सरकारी कर्मचारियों

को मिलने वाला महंगाई भत्ता 107 प्रतिशत पहुंच गया है। इस देश में किसानों की आबादी 70 करोड़ है और हरियाणा की आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा किसानों का हैं। किसानों के लिए महंगाई भत्ते की कोई कीमत नहीं है। हमारे हरियाणा प्रदेश में अगर 5 व्यक्तियों के एक परिवार की सालाना आमदनी देखें तो यह लगभग 2200 रूपये बैठती है। यह आमदनी आपके मॉर्म्ज के हिसाब से कम है। अगर मनरेगा के तहत 900 रूपये के हिसाब से 5 आदमियों के परिवार को 3 हजार रूपये भी मिल जाए तो क्या इससे उसका गुजारा हो जाएगा जिसको जमीन जोतनी है, मजदूरों को दिहाड़ी देनी है और रात को जागकर खेत में पानी भी देना पड़ता है। उसको उम्मीद होती है कि उसे फसल से कुछ मुनाफा होगा। सभापति महोदय, इन सब कार्यों के लिए किसान को सरकार से मदद की जरूरत है। इस सरकार के किसान हितैषी होने के बहुत नारे लगाए गए हैं लेकिन हम इस सरकार को किसान हितैषी केवल तभी मानेंगे जब आप किसान को बोनस दे देंगे। (विघ्न) जब संभी की सप्लीमेंटरी का जवाब दिया जा रहा है तो मेरी सप्लीमेंटरी का जवाब दिया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री सभापति : मंत्री जी, आप सब सप्लीमैंटरीज का एक-साथ जवाब दे देना।

सरदार जसविंद्र सिंह संधु : सभापति जी, कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ का जीवन किसानों के प्रति समर्पित रहा है और उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया है। इसलिए हम उनसे आशा करते हैं कि वे किसानों के दर्द को समझेंगे। मेरा उनसे एक ही आग्रह है कि जैसा उन्होंने अपने जवाब में बताया है कि वो फसल की गिरदावरी करवाएंगे। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अलग-अलग पटवारी के पास अलग-अलग पैमाने हैं। अगर किसी खेत का नुक्सान 30 परसैंट हुआ है और पटवारी को लगे कि यह 25 परसैंट से कम है और अगर कहीं 20 प्रसेंट नुक्सान हो पटवारी को लगे कि यह 25 परसैंट से ज्यादा नुक्सान है तो इस तरह की प्रणाली से किसान को परेशानी होगी। अब यदि 25-50 हो जाएगा तो उसको कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। मान लीजिए किसी के 20 क्विंटल गेहूं का 25 परसैंट नुक्सान हो गया है तो उसके 4 क्विंटल गेहूं खराब हो जाते हैं और जिसका 20 क्विंटल से कम गेहूं है तो उसका भी तीन या साढ़े तीन क्विंटल का नुक्सान हो जाता है। इस तरह से किसान को बहुत अधिक नुक्सान हो गया है। आज किसान का फसल पर लागत मूल्य काफी बढ़ गया है क्योंकि इस सत्र से पहले आपने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है, पिछले एक-डेढ़ साल से डी.ए.पी. खाद की कीमत 400 से बढ़कर 1000-1100 तक हो चुकी है, किसान का ठेका बढ़ गया है, मजदूरी महंगी हो गई है, कीड़ेमार दवाईयां भी महंगी हुई हैं। मंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा में आज से पहले कभी बोनस नहीं दिया गया है। मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या कभी राजस्थान सरकार ने किसानों को कभी बोनस नहीं दिया और क्या मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को कभी बोनस नहीं दिया? इसलिए मैं सदन के नेता से प्रार्थना करता हूं कि आप किसान के दर्द को समझें और जिन किसानों का 25 प्रसेंट से कम नुक्सान हुआ है उनको भी बोनस दिया जाए। इस समय किसान को सरकार से मदद की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं सदन के माननीय नेता और माननीय कृषि मंत्री जी से इतनी गुजारिश करता हूँ कि हमने जितने बोनस की मांग की है यदि आप उतना बोनस नहीं दे सकते तो अपने विभाग से कहकर उससे थोड़ा-सा कम बोनस किसानों को दें। इससे हर किसान के नुक्सान की भरपाई हो सकती है। आज हमारे सदन के नेता और हमारे सारे मंत्री किसान हितैषी होने की बात करते हैं। बहुत से मंत्रियों ने कहा कि हमने

[सरदार जसविंद्र सिंह संधू]

जननायक चौधरी देवीलाल के साथ काम किया है और उनके साथ इमरजेंसी में जेल में भी रहे हैं। उन सभी की भावनाओं का ख्याल करते हुए मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि यह बोनस हमारे किसानों के लिए बहुत आवश्यक है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपने दायित्व से दूर न भागे और किसानों को बोनस जरूर दें। मैं माननीय कृषि मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या किसी राज्य सरकार ने कभी बोनस दिया है या नहीं?

श्री जाकिर हुसैन : सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। किसानों के बारे में मंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने किसानों के लिए जो कदम उठाने को कहा है मैं उनसे सहमत हूं। मेरे माननीय साथी ने भी किसानों के बारे में कहा है और मैं भी अपने आपको इनके साथ जोड़ते हुए यह कहना चाहूंगा कि यह जरूरी नहीं है कि जो पीछे हुआ है हम उसी को परम्परा मानकर चलें। आज माननीय सदन के नेता ने कई विषयों के ऊपर कहा कि हम हरियाणा प्रदेश में ऐसी सरकार बनाएंगे जिससे लगे कि यह सरकार 21 जिलों की सरकार है और आज नई परम्पराएं शुरू करने की बात है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस काम के लिए सरकार को पीछे न जाकर बल्कि आगे आकर कोई न कोई निर्णय करना चाहिए। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है दस हजार रूपये बहुत कम हैं वे खुद कृषक हैं और जमींदार रहे हैं। इसलिए किसानों के आंसू पोंछने की पहल सरकार को करनी चाहिए और बोनस के बारे में जो हमारी मांग हैं उसको पूरा करना चाहिए ऐसा करने से किसानों को कुछ तो मरहम लगेगा। दूसरी बात, जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि मानसून की डिस्टरबैंस के कारण और असामयिक बारिश के कारण आज किसान को संभालने की जरूरत हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बोनस के बारे में भी सदन को जानकारी अवश्य दें। जैसा कि किसान को आपदा राहत की बात है, बी.जे.पी के चुनाव घोषणा-पत्र में भी यह हवाला दिया गया था कि जब बी.जे.पी. की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी तो किसानों का आपदा राहत कोष बनाया जायेगा। इसलिए किसानों के लिए एक राहत कोष फौरन बनाया जाना चाहिए जिसके माध्यम से किसानों को ऐसे समय में एक दम राहत दी जा सके। यह बात बी.जे.पी. के इलैक्शन मेनीफेस्टो में भी कही गई थी। मेवात जिले में जब दो मार्च को बारिश के कारण फसलों का नुक्सान हुआ तो उस बात को वहां के अधिकारियों ने लापरवाही से लिया और वहां पर तुरन्त गिरदावरी शुरू नहीं की गई। मेवात जिले में फसलों का तीन बार नुक्सान हो चुका है। जैसाकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री ने कहा है कि मेवात जिले में किसानों का 70 प्रतिशत से भी ज्यादा नुक्सान हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे किसानों को अंतरिम राहत देने पर विचार करेंगे। खासतौर से चारे के बारे में या फिर जोहड़ों के बारे में कोई इन्टरिम रिलीफ देने के बारे में कोई विचार करेंगे, क्योंकि किसानों की फसल बारिश के कारण नष्ट हो गई है इसलिए किसान के पास न तो पैसा है जबकि उसने सोचा था कि फसल होगी तब वह यह काम करेगा, अपनी बेटी की शादी करेगा। आज फसल तबाह होने के कारण प्रदेश का किसान सड़क पर आ गया है क्या सरकार किसानों के आंसू पोंछने का काम करेगी। क्या सरकार किसानों के पशुओं के लिए चारे का इन्तजाम करेगी और जोहड़ों को भरने का काम करेगी ? जब किसानों को बाढ़ से, सूखे से या बारिश से नुक्सान होता है तो किसान के पशु धन की कीमत बहुत कम हो जाती है, किसानों के आंसू पोंछने वाली सरकार ही होती है।

श्री सभापति : जाकिर हुसैन जी, अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री जाकिर हुसैन : सभापति महोदय, ऐसे समय में किसान का पशु धन भैंस जिसकी कीमत लाख रूपये होती है वह 11 हजार या 20 हजार रूपये में बिकती है और भैंस की या दूसरे पशुओं की अच्छी नस्ल हमारे प्रदेश से बाहर चली जाती है। क्या सरकार प्रदेश के पशु धन के सम्वर्द्धन के लिए कुछ काम करेगी ?

श्री सभापति : जाकिर हुसैन जी, अब आप कन्क्लूड कीजिए। आप इस प्रस्ताव से संबंधित अपनी बात कहें।

श्री जाकिर हुसैन : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या किसानों के पशुओं के लिए चारे का इन्तजाम और पशुओं को पीने के पानी के लिए जौहड़ों को भरवाने के लिए सरकार जल्द से जल्द काम करेगी ?

श्री राजदीप सिंह फोगाट : धन्यवाद, सभापति जी आपने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय मंत्री जी किसानों के लिए बहुत सी लड़ाईयां लड़ी, पैदल यात्रा भी कीं और साईकिल यात्रा भी की। उस समय माननीय मंत्री जी हमेशा यह कहा करते थे कि जब हम सत्ता में आयेंगे तो प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा सुखी होगा। जब माननीय धनखड़ साहब मंत्री बने तो मुझे व्यक्तिगत तौर बहुत खुशी हुई क्योंकि वे मेरे बड़े भाई हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं। उन्होंने यह कहा था कि हम किसानों के हालात सुधारेंगे। लेकिन इन्होंने अपने जवाब में एक लाईन में जवाब दे दिया कि सरकार के पास धन की कमी की वजह से हम किसानों को इस समय ज्यादा रिलीफ नहीं दे पायेंगे। ऐसी बातों से तो मंत्री जी जनता का हमारे ऊपर से विश्वास टूटता है। जब आदमी विपक्ष में होता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन जब सत्ता में आता है तो उन बातों से पीछे हट जाता है तो बड़ा दुख होता है। आज हम विपक्ष में हैं। अगर हम आज जनता के बीच में कोई वायदा करते हैं और कल हम उस वायदे से पीछे हटते हैं तो बड़ा दुख होता है। (विघ्न) 12.00 बजे जब किसानों की बात आती है तो धन की कमी की बात भी आती है। को-आप्रेटिव बैंकों द्वारा किसानों को लोन वगैरह व अन्य सुविधायें देनी होती हैं तो धन की कमी हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज प्रदेश में किसानों की सबसे ज्यादा बदहाली है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि किसानों को सुविधायें प्रदान करने में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। इस सदन में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों के हुए नुक्सान की बात भी की गई। बेमौसमी बारिश के समय में कई जगह नहरें भी टूट गई थीं तथा पानी ओवरफ्लो होने की वजह से फसलें खराब हो गई। इसके अलावा और भी कई हल्कों में पिछले 10 दिनों में नहरें टूटने व ओवरफलो होने की वजह से फसलें खराब हुई होंगी। मेरी प्रार्थना है कि इसके बारे में माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें। दादरी में भी हमने लगभग 150 एकड़ जमीन की फसलों की गिरदावरी व सर्वे करावाया था। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पार्टी की तरफ से 300/- रूपये गेहूं पर बोनस देने की मांग की गई है जिसका मैं समर्थन करता हूं। यह 300/- रुपये बोनस कम है। माननीय मंत्री महोदय यदि उदारता दिखाते हुए इस बोनस की राशि को थोड़ा और बढ़ा दें और इस बात पर विशेष ध्यान दें तो बहुत मेहरबानी होगी क्योंकि माननीय मंत्री महोदय विपक्ष में होते हुए किसानों के हितैषी रहे हैं। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** आज उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे इस विषय में विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

प्रो.रविन्द्र बलियाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व सदन में माननीय सदस्यों ने किसानों के हित के मुद्दों पर अपने-अपने विचार रखे तथा जबरदस्त तरीके से समर्थन भी किया कि आज किसानों को बोनस की बहुत ज्यादा जरूरत है। Commission on Agriculture Cost & Prices की भी रिपोर्ट आती है और स्वामीनाथन आयोग ने भी माना है कि फसलों के उत्पादन पर खर्च बहुत ज्यादा होता है। इन सभी बातों को माननीय मंत्री महोदय और सरकार भी मानती है। इसलिए पूर्व में कही गई बातों को फिर से न दोहराते हुए उभरकर सामने आई परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुऐ मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि किसानों को 300/-रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिये जाने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ हमने एक बात और पूछी है कि the Government should issue a direction to the Cooperative Banks of the State as well as to the Nationalised Banks. राज्य सरकार राज्य के को-आप्रेटिव बैंकों को तो डायरैक्शन इशू कर सकती है और हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात पर अवश्य विचार करेगी। जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात है इस बारे में मुझे लगता है कि राज्य सरकार कोई न कोई असमर्थता जाहिर कर देगी। इसलिए हम यहां पर माँग करते हैं कि यदि हम राष्ट्रीयकृत बैंकों को सीधे तौर पर डायरैक्शन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उन बैंकों द्वारा वसूल किये जाने वाले ब्याज की राशि को सरकारी खजाने से भरने का काम तो करें। जैसे कि सरकार कह रही है कि एक साल तक के समय के लिए किसानों के ऋणों और ब्याज के संबंध में सहायता व राहत देने का प्रावधान किया जायेगा। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलकौर सिंह कालांवाली : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में किसानों के हितों की बात हुई है जिन पर ध्यान देने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने विश्वास भी दिलाया है। अभी किसानों को अपनी फसलों का समर्थन मूल्य कम मिल रहा है जिसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इस सरकार ने किसानों की फसलों पर 300/-रूपये बोनस देने का कार्य किया है। आजकल बीज, बिजली और डीजल महंगा हो गया है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किसानों को रियायतें जरूर देनी चाहिएं। बैंकों का ब्याज माफ करने की बात भी यहां पर आई। इस बारे में मेरी भी प्रार्थना है कि किसानों का बैंकों का ब्याज माफ होना चाहिए तथा मूल राशि किसान किश्तों में वापिस कर सकें, इसके लिए भी बैंकों को हिदायतें दी जानी चाहिएं। जैसे कि सरकार ने बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से फसलों के हुए नुकसान के संबंध में 10 हजार रूपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात की है इस बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार को एडवांस के रूप में किसानों को कुछ न कुछ देना चाहिए ताकि वे अगली फसल की तैयारी करके अच्छी फसल उगा सकें। मेरी एक और मांग है कि नहरों की समय पर सफाई नहीं हो रही है तथा नहरों के टेल तक सही तरीके से पानी नहीं पहुंच रहा है। नए सिरे से सरकार नहरों की सफाई करवाए और सफाई करवा देंगें तो किसान को समय पर पानी मिल सकता है। हरियाणा में समान विकास की बात चली है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे इलाके की नहरों में महीने में कम से कम 15 दिन पानी जरूर छोड़ा जाए। पिछले समय में सिरसा जिला सूखे की मार की तरह हो गया था और वहां पानी बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा था। सरकार से हमारी मांग है कि नहरों में सफाई करवाकर महीने में तकरीबन 15 दिन तक पानी छोड़ा जाए ताकि किसान अपनी फसलों को समय पर सिंचित कर सकें। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे मेरे मित्रों ने उठाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में किसानों की अनुपातिक आमदनी कम हुई है। निश्चित

रूप से इस प्रकार की नीतियां बनने की और उनके लागू होने की जरूरत है कि खेती भी एक वायबल व्यवसाय बना रहे। बहुत से काम अब हो रहे हैं जो बहुत पहले शुरू होने चाहिएं थे क्योंकि भारत में खेती का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है। हरित क्रांति से पहले जो हमारी खेती थी वह केवल आजीविका खेती थी। हम अपने गांव में उसी खेती पर निर्भर करते थे। जो लोग लकड़ी का काम करते थे, लोहे का काम करते थे या बाल काटने का काम करते थे या जूते बनाने का काम करते थे उनको अपनी फसल में से कुछ हिस्सा देकर अपना हिस्सा लेकर हम अपना काम चला लिया करते थे। हम अपने सारे इनपुट्स के लिए भी गांव के ऊपर निर्भर करते थे। अपनी खाद होती थी, अपने बैल होते थे, अपनी लेबर होती थी, अपने बीज होते थे और यदि बीज नहीं होते थे तो हम अपने पड़ोसी से ले लेते थे। देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में हरित क्रांति हुई और हरियाणा हरित क्रांति का वाहक बना। एक व्यवसाय जो पहले बिल्कुल कैपिटल इन्टैंसिव व्यवसाय नहीं था वह एकदम कैपिटल इन्टैंसिव व्यवसाय में बदल गया। हमें अच्छी वैरायटी के बीज लेने पड़े, हमको उसके लिए फर्टीलाइजर्स लेने पड़े, हमको उसके लिए पैस्टीसाइडस लेने पड़े लेकिन ये सब होने के बावजूद मैं इस सदन के सामने कह रहा हूं कि सरकारों ने बिना तैयारी के किसानों को एक गैर पूंजी सदन व्यवसाय से पूंजी सदन व्यवसाय की तरफ धकेल दिया। इसके लिए कैपिटल की कोई व्यवस्था नहीं थी और सस्ता ब्याज प्रारम्भ हुआ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इस इंट्रस्ट को 18 से 9 परसैंट पर लेकर आए। उसके बाद कमीशन की सिफारिशों पर 9 से 7 पर आए और फिर केन्द्र सरकार ने उसका तीन परसैंट और देना शुरू किया और 4 परसैंट ब्याज पर किसानों को पैसा देना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मेरे सदस्य साथी बार बार कह रहे थे कि किसान पर ब्याज न लगे इसलिए मैं कल की मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर कह रहा हूं और मुझे हाउस में कहते हुए आनन्द हो रहा है कि पिछले फसली ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा तथा अगले फसली ऋण पर भी सभी किसानों के लिए माननीय सदन के नेता ने घोषणा की है कि कोई ब्याज नहीं लगेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आज के न्यूज पेपर में खबर छपी है जिसमें सदन के नेता की तरफ से ब्यान दिया गया है कि जिसका 51 परसैंट से ज्यादा नुकसान हुआ होगा उससे ब्याज नहीं लिया जाएगा।(विघ्न) जो खबर मैंने पढ़ी है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। यह आज के न्यूज पेपर में हेड लाइन थी। जो आप कह रहे हो कि ब्याज नहीं लिया जाएगा तो क्या यह सबके लिए है ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़: मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि सभी किसानों के लिए किया गया है और आगे के लिए भी किया है। मध्यप्रदेश इसको लेकर चल रहा है और छतीसगढ़ भी इसको लेकर चल रहा है। कर्नाटक में येदियुरप्पा जी ने इसको सबसे पहले शुरू किया था। हमारा राज्य भी उस रास्ते पर आगे बढ़ा है। यह बहुत आनन्द का विषय है कि किसानों को जीरो परसैंट इंट्रस्ट पर फसली ऋण का पैसा दिया जाएगा और इस बार समय की अदायगी वाली शर्त भी इसलिए हट गई है क्योंकि उसको पुनर्निधारित व पुनर्समायोजित किया जा रहा है उसके नाते से अपने आप समय की सीमा से भी बचेगा। माननवर, रिस्क मैनेजमैंट वाले विषय के बारे में भी मैंने कहा कि वह भी कैपिटल इनटैंसिव बिजनेस की तरफ जाता है और यदि हम एक मोटर साईकिल भी खरीदते हैं तो शोरूम से बाहर निकलने से पहले उसका बीमा होता है लेकिन किसानों के लिए जितनी अच्छी पॉलिसीज चाहिए थी, वे नहीं आई। किसानों के लिए कोई रिस्क

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

मैनेजमैंट भी नहीं था, कैपिटल भी नहीं था और बाजार भी नहीं था। बाजार में भी किसान की बेकदरी होती थी और इतने सालों में कोई व्यवस्था नहीं की गई जिसके कारण किसानों को अपना अनाज ऐसे ही छोड़ना पड़ता था। इतने सालों में किसानों के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई यह हमारे लिए वाकई में एक चुनौती है कि हम किसानों को जो हम बात कर रहे हैं उस लैवल पर लाकर खड़ा कर सकें। मैं सदस्यों की इस भावना से सहमत हूं। आदरणीय जाकिर हुसैन जी ने चारे का मुद्दा उठाया है कि ओलवृष्टि और बरसात से किसानों को चारे का भी नुकसान हुआ है। मैं सरकार की तरफ से जाकिर जी को आश्वस्त करता हूं कि मेवात जिले में हम चारे की कमी नहीं आने देंगे और वहां पर किसानों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। (इस समय मेजें थप-थपाई गईं।)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल किया था कि आज छोटे-छोटे लैंड होल्डिंग हैं। किसानों के पास चारा खरीदने के लिए पैसे नहीं है इसलिए सरकार किसानों को रिलीफ देने के लिए मुफ्त में चारे की व्यवस्था करवाये।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी ने जो कहा है उसे रिकार्ड न किया जाए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी करण दलाल जी बड़े एक्सपीरीयैंस्ड सदस्य हैं और चीफ पार्लियामैंटरी मिनिस्टर भी रहे हैं। ये जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। आजकल पता नहीं इनकी भाषा को क्या हो गया है? ये सदन में इस तरह की बात कहते हैं जैसे इन्होंने कभी स्कूल की शक्ल ही न देखी हो। कृपा इस तरह की भाषा को सदन की कार्यवाही में रिकार्ड न किया जाए तथा आगे से भी इस तरह की भाषा का प्रयोग सदन में न हो उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। आज बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्य इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से इनको खड़ा नहीं होना चाहिए और सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी ने जो अनपार्लियामैंट शब्द कहे हैं वे रिकार्ड न किए जायें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रसंग से विषय आ गया। मैंने थोड़ी देर पहले भी इस बात को उठाया था कि इस सदन में कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि सदन का समय वेस्ट न हो। हम सोच रहे थे कि हम अपने तथ्यों के आधार पर, नीयत के आधार पर, जानकारी के आधार पर, इंटैंशन के आधार पर माननीय सदस्यों के सवालों के जवाब देंगे। लेकिन हमें जवाब देने के लिए ऐसा माहौल पैदा करना पड़ता है जैसा अभी माननीय विपक्ष के नेता को करना पड़ा। यह कोई इस गरिमामय सदन के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं विपक्ष के नेता की बात से सहमत होते हुए यह चाहता हूं कि यह नोटिस करना चाहिए कि कौन सदस्य सदन का समय किल करता है। टाईम किलर्ज का नाम एनाउंस होना चाहिए और अखबारों में भी उनका नाम जाना चाहिए। क्योंकि पूरे प्रदेश का पैसा बर्बाद होता है और सदस्यों का समय बर्बाद होता है।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह का कोई प्रोविजन किया जाए और नियमावली में बदलाव किया जाए तथा जो सदस्य टाईम किलर हैं वे नेम होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं विषय पर आते हुए कहना चाहूंगा कि भाई राजदीप फोगाट जी ने नहर टूटने के कारण या ओवर फ्लो होने के कारण किसानों की फसल को नुकसान हुआ उसके बारे में जिक्र किया है। मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा कि हम उसका आकलन करवाकर उसकी भी भरपाई करवायेंगे। इसी तरह से माननीय सदस्य श्री परमिन्द्र सिंह ढुल जी ने गेहूं की लागत का मुद्दा उठाया था। वह पूरा डाटा कुछ दूसरे खर्च जोड़कर है। उसमें हम 20 प्रतिशत बढ़ौत्तरी प्रोफिट के नाम की एक तरह से जोड़ते हैं और कुछ मैनेजमैंट कॉस्ट भी जोड़ते हैं। वास्तव में जो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वह 1385.91 रूपये है। इसमें इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1942 रूपये अवश्य बनती है। पूरे देश का जो निर्धारण होता है कि गेहूं सभी प्रदेश देते हैं। पूरे देश का जो आंकलन आता है कुछ-राज्यों में मजदूरी सस्ती है, कुछ राज्यों में पानी के खर्च कम हैं, कुछ राज्यों में जमीन पट्टे पर कम रेट में मिल जाती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में जमीन 4 से 5 हजार रूपये प्रति एकड़ में खेती करने के लिए सालाना पट्टे पर मिल जाती है जबकि हमारे प्रदेश में 25-30 हजार रूपये प्रति एकड़ सालाना के हिसाब से मिलती है। केन्द्र सरकार जो सोचती है वह पूरे देश के आधार पर सोचती है। जो बातें राज्य के अपने रिर्सोसिज़ की लिमिटेशन में हैं, मैं उनको स्वीकार करता हूं। इसके अलावा जो सभी माननीय सदस्यों का मुख्य मुद्दा बोनस का है मैं उससे भी सहमत हूं और उसके लिए राज्य के रिर्सोसिज़ को बढ़ाने का पत्र लेकर मैं केन्द्र सरकार के सामने खड़ा हूं। पूरे सदन का जो इस बारे में भाव है उसको देखते हुए हम एक बार फिर से राज्य के रिर्सोसिज़ को बढ़ाने का केन्द्र सरकार से आग्रह करेंगे ताकि हम इस रास्ते पर और आगे बढ़ सकें।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, . . .(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, आप प्लीज बैठ जाईये। इस बारे में माननीय मंत्री जी ने कम्पलीट जवाब दे दिया है इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस विषय के बारे में कोई भी क्वैश्चन पूछना और उसका जवाब देना बाकी नहीं रह जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यगण, मैं यह बात फिर से दोहराना चाहता हूं कि जब आप सभी ने अपने-अपने प्रश्न पूछ लिये और उनका माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दे दिया तो फिर अब क्या पूछना बाकी रह गया है ? आप सभी बैठ जायें।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह स्पैसिफिक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का बोनस दिया है या नहीं दिया है?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, यह बात मैं मानता हूं कि कई राज्य सरकारों जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने धान पर बोनस दिया है। इस बार किसी भी राज्य सरकार ने बोनस की अनाऊंसमैंट नहीं की है लेकिन पिछले वर्षों में इन सरकारों ने बोनस दिये हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैंने अपना बजट मंगाकर देखा है और जितने बोनस की मांग माननीय सदस्य कर रहे हैं अगर मैं उसकी यहां पर अनाउंसमैंट कर दूं तो उसके लिए हमारा सारा बजट भी कम पड़ जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि उनको उनकी पार्टी ने पूरे देश की किसान सैल की जिम्मेदारी दे रखी है।

[श्री अभय सिंह चौटाला]

अगर वे इसके लिए हरियाणा प्रदेश से ही एक अच्छी शुरूआत कर देंगे तो उससे पूरे देश में एक अच्छा मैसेज जायेगा। हमने जो डिमाण्ड की है उस बात को माननीय कृषि मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया और इन्होंने उसके लिए स्वयं केन्द्र सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में एक शिष्ट मण्डल बनायें जो केन्द्रीय कृषि मंत्री से मिले और मिलकर इस बात की डिमाण्ड करे कि किसान का इतना नुकसान हुआ है और किसान के इस नुकसान की भरपाई के लिए कम से कम उसका लागत मूल्य तो उसको हर हालत में मिलना ही चाहिए।

प्रो. रवीन्द्र बलियाला : स्पीकर सर, ***

श्री अध्यक्ष : प्रो. साहब, आप कृपया करके बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) प्रो. साहब, सदन में अपनी बात कहने का यह कोई सही तरीका नहीं है कि जब आपके दिल में आये तभी आप बोलने के लिए खड़े हो जायें। (शोर एवं व्यवधान) प्रो. रवीन्द्र बलियाला, जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, मैं नेता प्रति पक्ष द्वारा उठाये गये विषय के बारे में यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी केन्द्रीय कृषि मंत्री महोदय को पत्र लिखा है और कुछ समय पहले किसान संगठनों के नेता भी हमसे मिले थे हमने उनसे कहा है कि उन्हें अपनी जिस समस्याओं को लेकर केन्द्रीय कृषि मंत्री जी से बात करनी के लिए मिलना है हमारी सरकार उनके साथ है। इसी प्रकार से अगर भिन्न-भिन्न दलों के नेता भी केन्द्रीय कृषि मंत्री से मिलकर इस विषय को उनके सामने उठाना चाहते हैं तो इसमें भी हमारी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए अगर उन्हें हमारी सरकार से किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है तो हमारी सरकार उसके लिए भी तैयार है और हमें इस बात के लिए भी प्रसन्नता होगी कि हम इस विषय के बारे में राज्य के किसानों के लिए कुछ कर पाये।

नियम - 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम - 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं —

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ —

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री कागज-पत्र सदन के पटल पर रखेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): सर, मैं सदन के पटल पर निम्नलिखित कागज-पत्र रखता हूं –

The Annual Report of Haryana Electricity Regulatory Commission for the year 2012-2013, as required under sections 104(4) and 105 (2) of the Electricity Act, 2003.

The Table the 47th Annual Report alongwith Separate Audit Report of Haryana Financial Corporation for the year 2013-2014, as required under section 37(7) and 38 (3) of the State Financial Corporations Act, 1951.

Table the 46th Annual Report of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited for the year 2012-2013, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

Table the Report of Fourth State Finance Commission Haryana (June, 2014) alongwith Explanatory Memorandum, as required under clause 4 of Article 243-I and clause 2 of Article 243-Y of the Constitution of India.

The Table the Annual Audit Report of the Local Audit Department Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs) year 2009-2010 and 2010-2011 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

[Captain Abhimanyue]

The Table the Annual Audit Report of the Local Audit Department Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs) year 2011-2012 and 2012-2013 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Table the Report of the Comptroller and Auditor General of India on Public Sector Undertakings (Economic and Social Sectors) for the year ended 31st March, 2013 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Table the Report of the Comptroller and Auditor General of India on Social, General and Economic Sectors (Non-Public Sector Undertakings) for the year ended 31st March, 2014 of the Government of Haryana in pursuance of India.

विधान सभा समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

(i) सबोर्डिनेट लैजिस्लेशन कमेटी की 43 वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब अधीनस्थ विधान समिति की चेयरपर्सन (श्रीमती सीमा त्रिखा) अधीनस्थ विधान समिति की वर्ष 2014-15 की 43वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

चेयरपर्सन अधीनस्थ विधान समिति (श्रीमती सीमा त्रिखा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान समिति की वर्ष 2014-15 की 43वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करती हूँ।

(ii) पब्लिक अकांउट्स कमेटी की 71 वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन (डॉ० अभय सिंह यादव) 31 मार्च, 2010 (सिविल तथा राजस्व प्राप्तियां) को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2014-2015 के लिए लोक लेखा समिति की 71वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Chairperson of the Committee on Public Accounts (Dr. Abhe Singh Yadav): Sir, I have to present the Seventy First Report of the Committee on Public Accounts for the year 2014-2015 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2010 (Civil and Revenue Receipts).

(iii) गवर्नमैंट एश्योरैंसिज कमेटी की 44 वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकारी आश्वासनों समिति के चेयरपर्सन (श्री जसविन्द्र सिंह संधू) वर्ष 2014-2015 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 44वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, सरकारी आश्वासन समिति (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2014-2015 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 44वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूँ।

(iv) पब्लिक हैल्थ, इरिगेशन पॉवर एंड पब्लिक वर्क्स (बी एंड आर) कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की चेयरपर्सन (श्रीमती संतोष चौहान सारवान) वर्ष

2014-2015 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की द्वितीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

Chairperson, Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works (B&R)(Smt. Santosh Chauhan Sarwan): Sir, I beg to report the Second report of the Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works (B&R) for the year of 2014-2015

विधान कार्य

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : अब एक मंत्री हरियाणा विनियोग (सं.1), विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (सं.1), विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि हरियाणा विनियोग (सं.1), विधेयक, 2014 पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ —

कि हरियाणा विनियोग (सं.1), विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, कल भी मेरी वित्त मंत्री जी से बात हुई थी और आपके माध्यम से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है और वे किताबों में छपे पड़े हैं, अलमारियों, कम्प्यूटर और कमरे के कमरे ऐसे कानूनों से भरे पड़े हैं जिनकी बाद में जरूरत नहीं रह जाती। इसी प्रकार का एक बिल माननीय वित्त मंत्री जी लेकर आये हैं। इस बारे में मैं ऑन रिकॉर्ड यह कहना चाहता हूँ कि Union Government, Chaired by Shri Narender Modi, gave its approval to introduce Appropriation Repeal Bill, 2015. अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं कि इस तरह के पुराने बिना जरूरत वाले कानूनों को समाप्त किया जाये, रिपील किया जाये, तो केन्द्र सरकार भी उस ओर आगे बढ़ चुकी है। मेरा निवेदन यह है कि यह जो एप्रोप्रिएशन का बिल है, यह एक वित्त वर्ष के लिए होता है। अध्यक्ष महोदय, एक वित्त वर्ष गुजर जाने के बाद यह कानून किसी भी माथने में किसी काम का नहीं रहता। भारत सरकार तो अपना कानून जब बनायेगी तब बनायेगी लेकिन आज मेरा निवेदन यह है कि अगर मंत्री जी इनेब्लिंग प्रोविजन यह कर दें और इनेब्लिंग प्रोविजन यह हो सकता है that this Bill shall stand repealed at the end of this financial year. यह एक लाइन इसमें डाल देंगे अगर यह एक साल का नहीं करना चाहते तो दो साल का कर दें। सर, यह एप्रोप्रिऐशन का बिल अंग्रेजों के जमाने से एक रिवाज चला आ रहा है जो केवल एक वित्त वर्ष के लिए होता है उसके बाद इसका कोई महत्व नहीं होता। दूसरा जो इस बिल में पैसा मांगने की बात आ रही है वह पैसा तो देना पड़ेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो अधिकारी हेड के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं इस पर चैक होना चाहिए। अब जैसे हरियाणा में 15 एडिसनल चीफ सैक्रेटरी हैं, बताइये उन्हें कौन से कानून से बनाया है। इनको बनाने के लिए भारत सरकार

LIBRARY

[श्री करण सिंह दलाल]

ने कौन सी इजाजत थी। अब पता नहीं कितने डी०जी०पी०, ए०डी०जी०पी० लगे हुए हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी सिक्योरिटी कम करके कितना अच्छा काम किया है। आज हरियाणा में जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके घरों के आगे सैंकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी खड़े रहते हैं। क्या यह पुलिस कर्मी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते ? इसलिए जो पैसा इस तरीके से लिया जा रहा है क्या यह ठीक है। अब जैसे हरियाणा में कैडर पोस्ट के एगेंस्ट केवल एक अधिकारी ए०डी०जी०पी० या एडिसनल चीफ सैक्रेटरी हो सकता है लेकिन यहां अलग-अलग लगा रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह हमारा दूसरे प्रदेशों में मजाक उड़ाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : यह 10-12 अधिकारी कांग्रेस सरकार के समय के हैं आपने इस सिस्टम को ठीक नहीं किया।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं अगर हमने गलत किया है तो अब आप उसको ठीक करें। आज एक एस.एच.ओ. पुलिस स्टेशन में भी अपने साथ एक गनमैन लेकर चलता है। यानि एक एस.एच.ओ. अपनी पिस्तौल खुद नहीं उठा सकता। अध्यक्ष महोदय, इस एप्रोप्रिएसन एक्ट में यह लागू करो कि जो अधिकारी अपने मनमाने तरीके से अपनी मांगों को मनवा कर जनता को गुमराह कर रहे है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो एप्रोप्रिएशन बिल का सुझाव दिया है वैसे तो कायदे से तो बजट पर चर्चा होने के बाद कोई सुझाव नहीं दिया जाता फिर भी हम इस पर विचार करेंगे। अभूतन इतिहास तो यह कह रहा है कि पहले बजट आधे घण्टे में पास होता रहा है। आपकी दरियादिली और सदन के नेता की उदारता ने सदस्यों को बजट पर बोलने का इतना समय दिया। (विघ्न) सर, श्री कुलदीप शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और फिर भी बिना अनुमति के बोलते हैं तो हमें बड़ा अजीब लगता है। माननीय सदस्य ने एप्रोप्रिएशन बिल के बारे मे जो सुझाव दिया है कि इसकी एक साल के बाद आवश्यकता नहीं रहती। इसमें ऑटोमैटिकली रिपीलिंग का कलाज डाला जाए। यह बात सही है कि यह बात केन्द्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और कायदे से यह पूरा सदन जानता है यहां सारे सीनियर मैम्बर बैठे हैं सभी जानते हैं कि एप्रोप्रिएशन एक्ट की लाईफ एक साल की ही होती है। फिर भी माननीय सदस्य का जो सुझाव है हम उस पर आगे के लिए विचार करेंगे। आज मेरा आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि मैं फिर से इस प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है —

कि हरियाणा विनियोग (संख्या-1) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज-वाई- क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि —

क्लॉज-2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव पारित हुआ।

क्लॉज-3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि —

क्लॉज-3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव पारित हुआ।

शिडयूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि —

शिडयूल विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव पारित हुआ।

क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि —

क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव पारित हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि —

इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला बने।

प्रस्ताव पारित हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि —

टाईटल विधेयक का टाईटल बने।

प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पास किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पास किया जाये।

प्रस्ताव पारित हुआ।

(2) दि हरियाणा एप्रोप्रियेशन (नम्बर-2) बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री हरियाणा विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 पेश करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा विनियोग (संख्या-2) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

डा० रघुवीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक एप्रोप्रियेशन बिल की बात है वैसे तो सारा पैसा अब तक खर्च हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मेरी इस बारे में कल माननीय वित्त मंत्री जी से बात हुई थी। मैंने यह कहा था कि आपका जजबा राजनीति से ऊपर उठकर है, मैं इसकी कदर करता हूँ। क्योंकि इन्होंने बजट में एक बात लिखी है कि देश के महान कृषक नेता दीनबंधु सर छोटू राम का दृढ़ विश्वास था कि राज्य के समस्त आर्थिक व सामाजिक जीवन की धुरी व केन्द्र कृषक व कृषि है। अत: सभी सत्तासीनों के हृदय में कृषक के लिए प्रमुख स्थान होना चाहिए। यदि कृषिक समृद्ध है तो सभी समृद्ध होंगे। किन्तु यदि कृषक की दुर्दशा है तो निश्चित रूप से सबसे दुर्दिन होंगे। अध्यक्ष महोदय, जब किसान गरीबी और गुरबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर था उस समय इस महान पुरुष ने अपनी सारी जिंदगी किसान के उत्थान और कल्याण के लिए लगा दी। अध्यक्ष महोदय, इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी एक बात आई है कि हरियाणा प्रदेश में जोत की भूमि छोटी हो रही है। खेती बाड़ी किसानों का धंधा है। अध्यक्ष महोदय, एक पूंजीपति के बेटे ने पूछा कि पापा जी यह बताईये कि बार-बार जिसमें घाटा हो रहा हो और फिर भी वह आदमी उस काम को करे तो उसके धंधे को क्या कहते हैं? पूंजीपति ने जवाब दिया कि खेती-बाड़ी किसान का एक ऐसा धंधा है जिससे बार-बार घाटा होते हुए भी वह किसान करता रहता है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, किसान टक-टकी लगाए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की तरफ देख रहा है क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जो बिना मौसम के ओलावृष्टि हुई है उससे गेहूं और जीरी की फसल काफी खराब हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसान के ऊपर एक मार और पड़ी है कि जाट को ओ.बी.सी. आरक्षण से बाहर निकाल दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब एस.वाई.एल. कैनाल का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास जा सकता है तो सदन इस प्रस्ताव को भी एक लाइन में लिखकर केन्द्र सरकार को भेज दें कि जाट को ओ.बी.सी. में शामिल किया जाये ताकि पार्लियामैंट में यह बिल पास हो सके। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की भावना को ध्यान में रखते हुए यह कगा कि माननीय सदस्य को किसानों की हितों की बातें विपक्ष में जाकर

ही याद आती है। जब माननीय सदस्य उच्च आसन पर बैठकर एप्रोप्रिएशन की मर्यादाओं को जानने के बाद भी सदन में इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, और उस पर चर्चा करते हैं। यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या-2) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज-बाई-क्लाज विचार करेगा।

क्लॉज-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज-2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज-3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि शिड्यूल बिल का शिड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे कि विधेयक को पास किया जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ–

कि यह विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पास किया जाये।

प्रस्ताव पारित हुआ।

(iii) **दि इण्डियन स्टैम्प (हरियाणा अमैन्डमैंट) विधेयक, 2015**

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ –

कि भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लाज-बाई-क्लाज विचार करेगा।

क्लाज-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज-2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज-1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे कि विधेयक को पास किया जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ–

कि यह विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ–

कि विधेयक पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पास किया जाये।

प्रस्ताव पारित हुआ।

(iv) दी हरियाणा स्कूल टीचर्स सलैक्शन बोर्ड (रिपीलिंग) बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शिक्षा मंत्री हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2015 पेश करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) विधेयक 2015 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल द्वारा हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) अध्यादेश, 2014 की स्वीकृति के विरूद्ध एक संकल्प प्राप्त हुआ है। अगर माननीय सदस्यों की सहमति हो तो संबंधित संकल्प तथा विधेयक पर इकट्ठी चर्चा करा ली जाए और विधेयक पास होने से पहले इस संकल्प पर मतदान भी करा लिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष जी, इस तरह से सदन का टाईम ही वेस्ट होगा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सदन का समय बर्बाद न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब श्री करण सिंह दलाल अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) अध्यादेश, 2014 (2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 9) को प्रस्तुत न किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) अध्यादेश, 2014 (2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 9) को प्रस्तुत न किया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शिक्षा मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा मोशन एडमिट किया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने इस बिल के the statement of objects and reasons में कहा है कि to cut delays in selection for filling up large number of posts falling vacant and newly created posts from time to time due to increase workload/ opening of new institutions. अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो इस बिल में रिपील कर रहें हैं उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। इस बिल में ही एक क्लॉज है। इसका पुराने एक्ट का

Clause 21 (1) says that–

"If any difficulty arises in giving affect to the provisions of this Act, the Government may by order published in the official gazette make such provisions or give such directions not in consistence with the provisions of this Act as appeared it to be necessary or expedient for removing the difficulty."

सर, जब यह प्रोविजन पुराने एक्ट में है तो इसको रिपील करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई दिक्कत थी तो इस प्रोविजन के द्वारा उसको दूर किया जा सकता था। सदन में इस बिल की रुह से जो ऑर्डिनेंस या बिल लेकर आए हैं उसने टीचर सलेक्शन बोर्ड को हटा दिया है। अब उस टीचर सलैक्शन बोर्ड ने कैटेगरी वाईज School Group-B, PGT Sanskrit, PGT Biology, PGT Physical Education, BRT other than Mewat, BRT Mewat Cadre, PGT various subjects, Assistant Professors कितने ही कैंडीडेट्स के रिजल्ट फाईनल करके

इन्होंने डायरेक्टर को भेजा है। बोर्ड को एबोलिश करने से विभिन्न कैटेगरिज में इंटरव्यू दे चुके बच्चों का भविष्य अधर में लटक रहा है। इन्होंने अभी तक बोर्ड कांस्टीच्यूट नहीं किया है। जिन कंडीडेट्स के सलैक्शन में कमी थी उनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि –

> "In this regard it is intimated that the posts of Hindi Lecturers School Cadre against Advt. No. 6/2006-6 was earlier advertised by HSSC. The Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No.4128 of 2012- Sweta Vs P.K. Chaudhary & Others, passed orders on dated 1.5.2012 and 7.7.2014 that written tests and interviews be conducted of all the unsuccessful candidates and this process should be completed within a period of four months as per the affidavit filed by the Government."

सरकार ने इसके बारे में एफिडेविट दिया हुआ है। सर, आज सरकार ने टीचर्ज भर्ती बोर्ड को हटा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंज का क्या होगा? सर, इस तरह के आर्डिनैंस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आलरेडी एक आर्डर है। सर, केस पेटीशन नं. 412-15 ऑफ 1984। इस पेटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि-

> "Unless it is replaced by an Act of Legislature or disapproved by the resolution by the legislature जैसाकि मैं लेकर आया हूँ before the expiry of that period the power to promulgate an ordinance is essentially the power to be used to meet in extraordinary situation" or Sir, it cannot be allowed to be perverted to serve the political purpose. सर, उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पोलीटिकल परप्ज सर्व करने के लिए आर्डिनैंस नहीं लाना चाहिए। अब सरकार इस बिल के माध्यम से टीचर सिलैक्शन बोर्ड के आर्डिनैंस को कानून बनाने जा रही है इस प्रकार से तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आज सरकार ने मेरे रेजोल्यूशन के लाने की वजह से आनन फानन में सरकार ने स्टाफ सिलैक्शन कमीशन बना दिया। एस.एस.सी. में पहले ही इतना काम है कि वे अपने काम को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं और अब सरकार कह रही है कि टीचर सिलैक्शन बोर्ड के काम को भी एस.एस.सी. को ट्रान्सफर करेंगे। सर, यह कानूनी बिल जो सरकार ला रही है इसके बारे में जब आर्डिनैंस हुआ था, वह सुप्रीम कोर्ट की मर्यादाओं के मुताबिक नहीं हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बिल को विदड्रा करना चाहिए और पुराने टीचर सिलैक्शन बोर्ड जो अपना काम कर रहा था वह ठीक कह रहा था। थैंक यू सर।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सावे जग नहीं और झूठे, मान्यवर, रब नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक बुढ़िया अपने घर में अकेली रहती थी तो एक चक्की ठीक करने वाला रमलू वहां आ गया। बुढ़िया ने रमलू से कहा कि रमलू मेरी चक्की ठीक कर दे मैं पानी का घड़वा ले आती हूं। रमलू अनाड़ी तो था ही। रमलू ने पुरानी चक्की को हथौड़ा मारा तो उसके पाट के दो टूक हो गये। रमलू ने सोचा कि बुढ़िया मारेगी वह जल्दी में उछल कर खड़ा हुआ तो उसका सिर छिक्के में घी की घिलड़ी से टकरा गया और वह घिलड़ी टूट गई।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मंत्री जी अपनी बात को उदाहरण देकर समझा रहे हैं। एक अच्छा उदाहरण देकर समझा रहे हैं।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य चेयर की परमिशन के बगैर बोल रहे हैं उनकी बात रिकार्ड में की जाए (शोर एवं व्यवधान) कादियान साहब, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं। आप मंत्री जी की बात सुन लीजिए। मंत्री जी बात कहने के लिए उदाहरण देकर समझा रहे हैं तो इसमें आपको क्या समस्या है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा है। (शोर एवं व्यवधान) जो प्रस्ताव आपने रखा है माननीय मंत्री जी इस बारे में कुछ तो जवाब देंगे ही। (शोर एवं व्यवधान) जब आपको 47 मिनट का समय मिला था, उस समय भी आप यह प्रश्न पूछ सकते थे। (शोर एवं व्यवधान) माननीय मंत्री जी, आपकी बात बड़ी स्टीक बैठ रही है, इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इन का नाम तो नहीं ले रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने मेरे प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव इस सदन में रखा है। यदि इस संबंध में मैं सरकार की तरफ से कोई बात नहीं कहूंगा तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। हम यह विधेयक क्यों लेकर आये हैं उसकी भूमिका यदि मैं नहीं बताऊंगा तो भी बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। हरियाणा की भाषा बड़ी सरल है तथा हरियाणा के लोग हरियाणवी भाषा को पसंद करते हैं और ये माननीय साथी भी हरियाणवी भाषा ही पसंद करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि हम को यह विधेयक क्यों लाना पड़ा तथा इस बोर्ड को क्यों भंग करना पड़ा ? इसका कारण बताते हुए मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में भर्ती के मामलों में एक गलत परंपरा चल पड़ी थी। अध्यापकों की भर्ती के मामले में भी अनियमितताएं हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई पहली बार ही शिक्षा मंत्री नहीं बना हूं। मैं पहले भी 1996 में शिक्षा मंत्री था उस समय हमने भी 89 दिनों के लिए हजारों अध्यापकों की भर्ती की थी। उसके बाद नई सरकार आई जो हमारी सरकार द्वारा की गई भर्ती के विरूद्ध माननीय हाई कोर्ट में गई। इस पर माननीय हाई कोर्ट की फुल बैंच ने यह फैसला दिया कि it is very meritorious recruitment.(Thumping) वर्ष 1999 में हमारी सरकार चली जाने के बाद हाई कोर्ट में C.W.P.No.396/2002 फाईल की गई थी लेकिन माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया वह हमारे पक्ष में आया था। (शोर एवं व्यवधान) मैं केवल 3 साल का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं तो सारा संदर्भ बता रहा हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के मित्रों को बड़ा भारी वहम है। ये काम की बात पर चर्चा होने की बजाए शोर मचाने लग जाते हैं तथा काम की बात को गोलमाल कर जाते हैं। आज माननीय विपक्ष के नेता ने एक बात को इस सदन में ठीक से उद्धृत किया। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हरियाणा की जनता हम को व इस सदन को नहीं देख रही है। अब जब मैं इनकी बात का उत्तर देने जा रहा था तो इनको अपनी बात का उत्तर सुनने की तैयारी रखनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं रमलू की बात इसीलिए कह रहा था, मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, कि वह बुढ़िया पानी का मटका लेकर आ गई और घीलनी पर पैर

धरा गया, पैर रिपट गया, बेचारी बुढ़िया का किवाड़ जो दीमक का खाया हुआ, पुराना था, वह भी टूट गया (शोर एवं व्यवधान) और रमलू की टक्कर बुढ़िया से हुई, बुढ़िया का मटका फूट गया, बुढ़िया नीचे गिर गई तो बुढ़िया न्यूं बोली कि रमलू तने कित कित रोऊं ? रमलू ने बुढ़िया से कहा कि चालती जा, संभालती जा और रोंवती जा। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी ही भर्ती 2010 में हुई थी जिसको हाई कोर्ट में चेलेंज किया गया था। High Court has ordered the Haryana Government जिसके अनुरूप थम्ब इम्प्रैशन का काम हमारी मधुबन की हरियाणा पुलिस की एक एकेडमी है उसके एक्सपर्ट को दिया गया। उसमें 858 लोगों के परीक्षा के समय जो थम्ब इम्प्रैशन थे उनमें बाद में परिवर्तन पाया गया और उनके हस्ताक्षरों में परिवर्तन पाया गया। अध्यक्ष महोदय, एक भर्ती 2013 में हुई जिसके लिए हाई कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि you are bound to scientific perusal of the documents, scientific variation of the documents और हम अपना पूरा तंत्र लगाकर काम कर रहे हैं। हजारों लोग फर्जी पाए गए इसलिए हमारी सरकार ने सारी मर्यादाओ को ध्यान में रखते हुए और बड़ी मात्रा में लोगों की डिमांड के ऊपर कम्पीटेंट लोगों को शामिल करके हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन की नियुक्ति की है जिसके लिए हमको यह बिल लाना पड़ा। जैसा भाई कर्ण सिंह दलाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, तो मैं सारे सदन को बताना चाहूंगा कि वह जो हवाला है वह पिछली सरकार पर लागू होता है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिल पास किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ओरिडैंस लेकर आए हैं। जैसा कि इन्होंने सिलैक्शन बोर्ड को डिजोल्व किया यह इनका अधिकार है कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, इनको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम दूसरी संस्था लेती है और सिलैक्शन बोर्ड का उससे कोई वास्ता नहीं है। सिलैक्शन बोर्ड का एग्जाम लेने में कोई रोल नहीं है। बोर्ड और विभाग के अंतर का इनको नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं। बोर्ड कभी एग्जाम नहीं लेता। अध्यक्ष महोदय, यह जो कह रहे हैं कि हमने इसकी इन्कवायरी के आदेश दिए तो मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारी सरकार के समय के आदेश थे, आप चाहें तो इस बारे में पता करवा लें। जब ऐसी शिकायतें आई तो हमने उसकी इन्कवायरी का आदेश दिया था।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, स्टाफ सिलैक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन थे वे पहले स्टाफ सिलैक्शन बोर्ड के चेयरमैन रहे और ओवरऐज होने के बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर उसको रिलैक्सेशन दी गई तथा उसको शिक्षा भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। वे कौन व्यक्ति थे इस बारे में हुड्डा जी जरूर बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, बोर्ड और एग्जाम का कोई सम्बंध नहीं है। बोर्ड सिलैक्शन करता है इसलिए बोर्ड अलग चीज है और एग्जाम अलग चीज है। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि सरकार के अधीनस्थ जो संस्थाएं रिक्रूटमैंट में इन्वाल्व थीं वे कैसे इस प्रकार की बात कर सकती हैं कि एग्जाम कोई और लेगा और रिजल्ट

कोई और सुनाएगा। यह सरकार की जिम्मेदारियां थी इसलिए इस बारे में सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए था जिसमें इनकी सरकार फेल हुई और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी रूलिंग दी है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस बात की सदन में चर्चा हुई कि पिछली सरकार के दौरान टीचर्स की जो भर्तियां की गई उसमें हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए कि इसकी जांच कराई जाए। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने सदन को गुमराह किया है और सदन में झूठ का सहारा लिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास शिकायतें थीं इसलिए इन सबकी जांच के आदेश हमने दिए जबकि हाई कोर्ट में शिकायतकर्ता गए हुए थे इसलिए हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे कि इसकी जांच कराई जाए तब इसकी जांच हुई थी न कि इन्होंने जांच के आदेश दिए थे। ये सदन में इस तरह की गलत ब्यानबाजी करके सदन को गुमराह कर रहे हैं। जो सामने सदन में लिखा हुआ है इसको पढ़कर ब्यानबाजी करनी चाहिए और यदि यह इनसे नहीं पढ़ा जाता तो इस तरह की ब्यानबाजी नहीं करनी चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि बोर्ड अलग चीज है और एग्जाम अलग चीज है। हम इनकी बात मान लेते हैं कि हाई कोर्ट ने किया लेकिन इन्क्वायरी करवाने के आर्डर तो हमारे समय में ही हुए थे और उसी समय इन्क्वायरी शुरू हो गई थी। मौजूदा सरकार ने इन्क्वायरी के आर्डर कब दिए हैं ? (विघ्न) अब इन्क्वायरी चल रही है लेकिन आदेश हमारे समय से ही दिए हुए थे।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, यदि ये अपनी मर्जी से आदेश करते तो हम मानते लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से इन्क्वायरी के आदेश नहीं दिए थे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अभी जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि इन्होंने इन्क्वायरी के आदेश दिए और अब कैप्टन साहब कह रहे हैं कि इन्क्वायरी के आदेश हमारे समय में ही दिए गए थे। (शोर एवं व्यवधान) इन्क्वायरी के आदेश तो हमारे समय में ही हो चुके थे और इन्क्वायरी शुरू भी हो गई थी। अगर किसी ने कोई गलती की है तो वह भुगतेगा।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इन्क्वायरी के आदेश तब दिए जब हाई कोर्ट ने ऐसा करने के आदेश जारी किए और इनको मजबूर किया। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड निकलवाकर देख लिजिए। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि इन्क्वायरी के आदेश इन्होंने दिए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं अभी भी कह रहा हूं। इन्होंने सुओमोटो आदेश नहीं दिए। हाई कोर्ट में उस सिलैक्शन के बारे में (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कौन से आदेश दे दिए। मैंने यह बात उठाई थी कि आदेश किसके समय में हुए। शिक्षा मंत्री जी आपने कहा कि इन्क्वायरी के आदेश आपने दिए और मैंने कहा है कि इन्क्वायरी के आदेश हमारे समय में दिए गए हैं। पूरा सदन बैठा है आप रिकार्ड निकलवा लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम विलास शर्मा : सर, इसमें क्लेरीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षा बोर्ड को भंग श्री मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने उसको भंग नहीं किया। इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक यह जो इन्क्वायरी थी डाक्यूमैंट्स की साईंटीफिक वैरीफिकेशन के लिए आदेश दिए थे because Hight Court has given decision. उसका इम्पलीमैंटेशन तो इन्होंने करना ही था।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से एक वस्तु स्थिति सदन के समक्ष रखना चाहता हूं क्योंकि जिस समय यह जांच शुरू हुई उस समय I was the Director of that Department. मुझे इस मैटर की फैक्चूवल स्थिति की पूरी जानकारी है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक रिट पैटीशन डली थी और पैटीशनर्ज ने 54 कंडीडेट्स के नाम दिए थे कि ये कंडीडेट स्वयं परीक्षा में नहीं बैठे। इनकी जगह दूसरे आदमी इलीजीबिलिटी परीक्षा में बैठे थे। यह बात सत्य है और मैं हुड्डा साहब की बात से सहमत हूं कि इलीजीबिलिटी परीक्षा के लिए अलग बोर्ड है और भर्ती के लिए अलग बोर्ड है। जो यह 54 कंडीडेट्स की लिस्ट दी गई थी उनके सैम्पल मधुबन लैब में टैस्टिंग के लिए भेजे गए। उनमें से 8 कैंडीडेट आईडैंटीकल यानि सही मिले थे। 22-23 ऐसे कंडीडेट थे जिनके सही नहीं पाये गये। कुछ के बारे में लैब वालों ने कहा था कि उनके इम्प्रेशन साफ नजर नहीं आ रहे इसलिए उनका एक्जामिनेशन नहीं हो सकता। मधुबन लैब की यह रिपोर्ट हाई कोर्ट में गई। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं कि यह रिपोर्ट मेरे दस्तखतों से हाई कोर्ट में गई थी। इस रिकार्ड को देखकर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि जितने भी कंडीडेट सिलैक्ट हुए हैं सबके इम्प्रेशन की जांच नमूने लेकर करवाई जाए। इस पर आर्डर न पिछली सरकार ने किए थे और न हमारी सरकार ने किए हैं। यह मैटर हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक एग्जामिन हो रहा है। मैं सदन के समक्ष यही बात रखना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) अध्यादेश, 2014 (2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 9) को प्रस्तुत न किया जाये।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज-बाई-क्लॉज विचार करेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज - 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज - 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज - 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का अनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शिक्षा मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पास किया जाये।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि इस विधेयक को पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि इस विधेयक को पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इस विधेयक को पास किया जाये।

प्रस्ताव पारित हुआ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जाटों को ओ.बी.सी. में शामिल करने की बात कही है उस आशय का एक प्रस्ताव इस विधान सभा से पास होकर केन्द्र सरकार के पास जाना चाहिए। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष भी मेरी बात का समर्थन करते हैं। अगर आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं इसलिए आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ***

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

मुख्यमंत्री / अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करें मैं आपका, इस महान सदन के सभी माननीय सदस्यों, प्रैस के प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और हरियाणा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्तमान सत्र को सुचारू रूप में चलाने के लिए अपना योगदान देने के लिए धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने सदन की कार्यवाही को बड़े अच्छे और सुचारू ढंग से चलाते हुए सत्ता पक्ष के बजाये विपक्ष को, मेरे विपक्ष के मित्रों को बोलने के लिए सत्ता पक्ष से भी ज्यादा समय दिया। मैं समझता हूं कि इतना समय देने के बावजूद भी किसी भी माननीय सदस्य को अपनी बात रखना बाकी नहीं रहा होगा। विपक्ष के माननीय सदस्यों की मांग पर ही सदन की अवधि को एक दिन के लिए बढ़ा भी दिया गया था। इस प्रकार से वर्तमान बजट सत्र में कुल 13 बैठकें हुई हैं जो पिछले 10 सालों की औसत बैठकों से कहीं ज्यादा हैं। इन 13 बैठकों में प्रश्न काल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इत्यादि के विषयों के अलावा 1400 मिनट चर्चा हुई है। सत्ता पक्ष की संख्या ज्यादा होते हुए भी आपं द्वारा 756 मिनट विपक्ष को देना और सत्ता पक्ष को केवल 602 मिनट देना आपकी दरियादिली को इंगित करता है। अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से न किसी को नेम किया गया और न ही किसी को वार्निंग ही दी गई। इतना अच्छा वातावरण आज से पहले शायद ही कभी इस सदन में देखने को मिला हो। अध्यक्ष महोदय, आपने सभी माननीय सदस्यों के लिए समान दृष्टिकोण रखा। इन सभी बातों के लिए मैं आपका एक बार पुन: धन्यवाद करता हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता ने हाउस की कार्यवाही पर चर्चा की और इससे पहले पूर्व में स्पीकर रहे डॉ. रघुवीर सिंह कादियान ने भी यह कहते हुये आपका धन्यवाद किया था कि आपने सबको बोलने के लिए समय दिया। मैं भी यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आपने अबकी बार एक-एक सदस्य को बोलने के लिए समय दिया और हर सदस्य ने, चाहे वह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, चाहे बजट भाषण था या चाहे कट मोशन था, अपनी बात कही। जिस तरह से सदन के नेता ने बताया कि अबकी बार विधान सभा का सत्र लम्बे समय तक चला है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से भी और आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि अगला जो सत्र आये उसको और भी लम्बा चलाना ताकि हर सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रख सके। अपने हलके की समस्याएं आपके सामने रख सके। हमने इस सदन में पिछले 10 साल बहुत मुश्किल समय बिताया है। यहाँ पर विज साहब बैठे हुये हैं, वे जब भी सदन में आते थे तो अपनी दरी साथ लेकर आते थे। वे अपनी दरी इसलिए साथ लेकर आते थे कि उनको नेम किया जाता था और वे विधान सभा के बाहर अपनी दरी बिछा

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[अभय सिंह चौटाला]

कर अपना स्वयं का सत्र चलाते थे। विज साहब ने अब भी दरी साथ रखी हुई है और क्यों रखी हुई है ताकि कांग्रेस के साथी जब नेम हो कर बाहर जायें तो वे बाहर बैठ सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने सत्र बहुत अच्छी तरह से चलाया और किसी को नेम भी नहीं किया वरना कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा प्रयास किया कि उनको बाहर निकाल दिया जाये। ये अखबारों की सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा करते थे। कई बार तो इन्होंने ऐसे इश्यूज हाउस में उठाये हैं जिनका इस हाउस से कोई लेना-देना ही नहीं था। आपने इनको नेम न करके सदन से भागने का मौका नहीं दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं तो विज साहब से अनुरोध करता हूँ कि अगले सत्र में भी अपनी दरी साथ लेकर आयें क्योंकि ये अगले सत्र में रूकेंगे नहीं, ये 100 प्रतिशत बाहर जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो पिछले 10 साल हमने यहाँ हाउस में बिताये और जिस तरह का रवैया यहाँ स्पीकर का इस कुर्सी पर बैठ कर रहा था, उसकी जितनी भी निन्दा की जाये वह कम है। आप उस वक्त की कार्यवाही निकाल कर देख सकते हैं। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जिससे कि किसी साथी को ठेस लगी हो क्योंकि उन्होंने इस तरह के कर्म किये हैं और वे सभी हाउस की कार्यवाही में रिकॉर्डिड हैं। यहाँ से विपक्ष को निकालने के बाद जो आदमी हाउस में मौजूद नहीं थे उनके बारे में बहुत छोटी और ओच्छी टिप्पणियाँ की गई। उन सबको अगर आप देखोगे और पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से यहाँ बैठे हुये लोगों ने सदन की गरिमा को खत्म करने का काम किया है। मुझे यह कहते हुये हर्ष हो रहा है कि आपने उस गरिमा को कायम रखा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कायम रखोगे। आगे सदन के सदस्यों को बोलने के लिए और ज्यादा समय प्रदान करेंगे। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के नेता ने कहा और नेता प्रतिपक्ष ने भी और जिस प्रकार से आपने सदन को चलाया उसके लिए मैं भी आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। सदन बहुत अच्छे ढंग से चला, कोई सदस्य हाउस की वैल में नहीं गया और सत्ता पक्ष का रवैया भी ठीक रहा। इससे भी ज्यादा मैं नेता प्रतिपक्ष का और उनके दल का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इस बार विपक्ष की जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वाह किया है। जिस प्रकार से इन्होंने पिछले सालों का जिक्र किया है, पहले तो ये हाउस की वैल में ही खड़े रहते थे। अबकी बार ये वैल में नहीं आये और सदन अच्छे तरीके से चला है। इस बात के लिए धन्यवाद। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय इन्होंने आपको पूरा सहयोग दिया है और सत्ता पक्ष को भी पूरा सहयोग दिया है जो बहुत अच्छी बात थी। इसके साथ-साथ सदन में बहुत सारी बातें उठाई गई। बहुत सारे सवाल पूछे गये बार-बार बात को घूमाकर यही कहा जाता था कि जाँच कराएं जिसमें हम ही टारगेट रहे। कोई बात नहीं थे जाँच कराएं। दूसरी बात चाहे कोई भी काम हो इन्होंने कहा यह काम वोट लेने के लिए किया गया। बुढ़ापा पैंशन 1500 रुपये की तो यह 41कहते हैं कि वोट लेने के लिए की है। लेकिन 7वह हमने कैबिनेट के फैंसले में कर दी थी।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : सर, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं इन्होंने अगर एक भी चैक 1500/- रुपये का दिया हो तो बता दें। यह तो पहले 750 रुपये बुढ़ापा पैंशन दिया करते थे। वह तो लोक सभा चुनाव से पहले इनको मजबूरी में 1000 रुपये करनी पड़ी। हमने तो 2000 रुपये तक की पूरी व्यवस्था कर दी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सर, मैं देने की बात नहीं कर रहा। यह कैबिनेट का फैंसला था कि बुढ़ापा पैंशन 1500 रूपये कर दी जाए और कर्मचारियों का वेतन पंजाब के बराबर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक बार गांव में सरपंची का इलैक्शन था उसमें दो उम्मीदवार खड़े हो गये जिनमें से एक का नरसिंह नाम था और दूसरे का प्यारे नाम था। वह दोनों चुनाव लड़ रहे थे और गांव भी शायद बेरी हल्के में है या बादली हल्के में है। जैसे इन्होंने कहा कि हमने जो काम किया वह वोट लेने के लिए और लोगों को खुश करने के लिए किया था। अब वह दोनों नरसिंह व प्यारे वोट मांगने लगे तो एक दिन प्यारे नरसिंह को कहने लगा कि नरसिंह तूं तो कतई डूब गया तूं तो लोगों के सामने वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है। अब हम तो यही करते रहे। नरसिंह ने कहा कि प्यारे मैं तो हाथ जोड़कर ही गुजारा कर लूंगा तूं ऐसा कर इनकी मूंछ पाड़कर वोट मांग ले। अब वही बात इन्होंने कर दी बूढ़ों की और कर्मचारियों की मूंछ पाड़ ली। तुम्हारी मर्जी कुछ भी करो। हमारा तो कैबिनेट का फैंसला था इसमें कोई दो राय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही उनकी बात से मैं सहमत हूं। इन्होंने कहा था कि चुप्पी का मतलब कमजोरी न समझा जाए। यह ठीक है कि चुप्पी अच्छी बात है लेकिन यह पता नहीं कि वह किसको कह रहे थे। अगर मेरे को कह रहे थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारे साथी मंत्री जी हैं जो बहुत तेज बोलते हैं वह सोचते हैं कि उससे हम डर जाएंगे। अगर आपका मेरी तरफ इसारा है तो मैं आपको कहता हूं कि आपको जो करना है वह कर लेना। आपने जो लोगों को आश्वासन दिए हैं पहले वह काम करो। आगे जो तुम्हारी मर्जी है वह करो। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वह अच्छी बात है चुप्पी का पाठ सबको लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आप तो चुप बैठे रहते हो और आपके मंत्री इतनी तेज बोलते हैं कि शायद उनसे कोई डर जाएगा। अध्यक्ष महोदय मैं सभी माननीय सदस्यों का अभारी हूँ कि सदन की कार्यवाही बड़े अच्छे माहौल में चली और यह भी समझ में आ गया होगा कि विपक्ष क्या होता है? इन्होंने अच्छे तरीके से विपक्ष की भूमिका की जिम्मेवारी निभाई है ये और कितने दिन तक निभायेंगे, यह समय ही बतायेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने का समय आ गया है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने हल्के के प्रति जो समस्याएँ सदन में रखी हैं। अध्यक्ष महोदय, एक दूसरे के बारे में काफी व्यंग्य विनोद भी हुए। मैं भी समझता हूँ कि यह व्यंग्य विनोद चलने चाहिए, क्योंकि ये नहीं चलते तो शायद सदन की अवधि इतने दिन तक नहीं चल पाती। अध्यक्ष महोदय, व्यंग्य और विनोद दोनों की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इस बार एक अच्छा वातावरण सदन में देखने को मिला और आज यह माहौल समाप्त हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ रही है कि कोई विद्यार्थी परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था तो जैसे गेस पेपर आते हैं तो उसको भी किसी ने गेस पेपर के बारे में बताया कि परीक्षा में गाय का निबंध आयेगा। उसने गाय का निबंध याद कर लिया, वह पेपर देने के लिए चला गया तो जब पेपर खोलकर देखा कि गाय के निबंध की जगह वट वृक्ष का निबंध आया हुआ है तो वह लड़का बड़ा समझदार और योग्य था। अध्यक्ष महोदय, उसने योग्यता के आधार पर लिखना शुरू कर दिया कि हमारा एक बड़ा घर है। घर में एक बड़ा आंगन है। घर के आंगन में एक बड़ा वट वृक्ष का पेड़ है। हम उस वृक्ष की छाया में गाय बांधते हैं। गाय के दो सींग होते हैं। चार थन होते हैं। गाय हमारी माता होती है। अध्यक्ष महोदय, उसने इस तरह से

[श्री मनोहर लाल]

निबंध लिखा और लिखने के बाद उसने फिर लिखा कि यदि आप घर में अच्छी गाय बांधने चाहते हैं तो घर के आंगन में बड़ा वट वृक्ष का पेड़ भी होना चाहिए (हंसी)। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी गाय का निबंध निश्चित है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। हमारी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस होगी। हमारी सरकार गरीबों और किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह लगेगा कि जो व्यक्ति निर्बल है और वह आर्थिक रूप से भी कमजोर है, उसकी यथासंभव सहायता भी की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पूरे प्रदेश के लोगों के हित को ध्यान में रखकर ही काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सरकार के सामने बहुत सारी दिक्कतें होंगी। जितनी भी दिक्कतें आयेंगी सरकार उसका डटकर मुकाबला करेगी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन में आप सभी के द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ इसके अतिरिक्त मैं प्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के अधिकारियों तथा हरियाणा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का बहुत आभारी हूँ। जिन्होंने वर्तमान सत्र में सुचारू रूप से अपना पूर्ण योगदान दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है।

*13.22 बजे (तत्पश्चात सदन अनिश्चित काल के लिए *स्थगित हुआ)

53460—H.V.S.—H.G.P., Chd.